अंग्रेजी में लिखित रिपोर्ट का हिंदी में सारांश
(Summary in Hindi of the Report Written in English)

हाई कोर्ट में झूठः

भारत में झूठा फंसाना एवं पद का दुरुपयोग-
कुशासन पर एक सामाजिक–कानूनी घटना-क्रम
21-12-2022

(Lies in the High Court:

Falsely framing and the abuse of power in India-
A socio-legal textbook case on misgovernance)

December 21, 2022

डा. सुरेश चन्द्र जैन

44 HIG, पुराना सुभाष नगर,
भोपाल, **462023**, मध्य प्रदेश

Mobile 94065-18308

E-mail scjain12@gmail.com

सेवा निवृत्त मुख्य महा प्रबंधक,
मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड **(MPLUN)**
भोपाल, **462003,** मध्य प्रदेश

उपर्युक्त संदर्भित अंग्रेजी वाली रिपोर्ट का मुख पृष्ठ
(Cover page of the above mentioned Report in English)

Lies in the High Court:

Falsely framing and the abuse of power in India-

A socio-legal textbook case on misgovernance

Submitted to Hon'ble Chief Justice of India (CJI), Dr. Justice D. Y. Chandrachud, and the Hon'ble Justices, Supreme Court of India (SCI); The Hon'ble Chief Justices of High Courts; The Hon'ble Justices, MP High Court; Gov't of India; Gov't of MP; and others ... (Page 33-to-35),

This Report is in tune with what the Hon'ble Justices of the SCI have themselves been observing over the decades that "frivolous and false litigations" are being increasingly filed in courts (Page 27-28):

- "The resultant Contempt Petitions ... is a direct result of ... Deliberate inactions by the governments, despite judicial pronouncements ...", Justice NV Ramana, CJI
- "Government is the biggest litigant in the country. ... Large number of cases coming against the Government cannot be a good sign of good governance", Justice TS Thakur (later CJI)
- "Frivolous cases making court dysfunctional", Justice DY Chandrachud (later CJI)

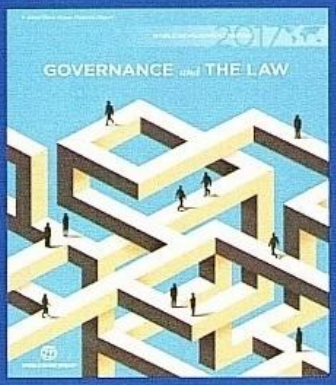

Arun Shourie wrote that in the USA (Page 28-to-30), "If ... appeal is found to be without foundation, the sentence will be severely enhanced", but in India, Bibek Debroy wrote that, " ... Many give false evidence under oath but complex laws and reluctance to initiate proceedings make prosecution a rarity"

The World Bank, in World Development Report 2017, 'GOVERNANCE and THE LAW' concluded that: "... In many developing countries, the laws on the books just that".

As for this Report: Preface: An Abstract of the Report (Page ii-to-v);
Self-Contained Summary on 'Lies in the High Court' (Page 01-to-08)

- **False, contradictory and fabricated statements** are submitted in the Writ Appeal (WA) by the MDs of MPLUN **before the Division Bench (DB) of the High Court**, after doing the same **before the Single Benches of the High Court** in their Returns to my: (i), Writ Petition (WP), and (ii), Contempt Petitions. In this WA, Adjournments from the DB are also obtained on an equally 100% false pretext, while the **Hon'ble Single Judge of the High Court is falsely accused** for quashing the DE and ordering for releasing gratuity.
- Contempt was filed for not releasing gratuity as per the order passed in my Writ Petition. As revealed later, a Disposal Order in that Contempt is obtained by **an advocate (counsel) who was engaged neither by the Petitioner nor by the Respondent! A fraud of its own kind!** Hence second Contempt filed, where MDs of MPLUN have again submitted lies and suppressed facts, while resorting to 'pot calling the kettle black' ("उल्टा चोर कोतवाल को डांटे").

And this way, the High Court is being virtually turned by the MDs of MPLUN into an instrument of prolonged mental agony, physical exhaustion and emotional distress

Given 'justice delayed, justice denied', the case is pending over two decades with no end in sight: From 2002-to-2007 in MPLUN / Gov't of MP, and from 2007-to-2022 in the High Court of MP

Dr Sures Chandra Jain
EdD (PhD), EdM, Columbia University, New York, USA
BIS, University of Waterloo, Ontario, Canada
(Retd.) Chief General Manager, MP Laghu Udyog Nigam (MPLUN),
(A Gov't of MP undertaking), Bhopal, MP 462003, India
December 21, 2022

रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), हाई कोर्टो के मुख्य न्यायधीशों, कार्यपालिका, विधायिका एवं चयनित संस्थाएं एवं गणमान्य नागरिकों को प्रेषित

मैंने यह रिपोर्ट भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों (Chief Justice of India and Chief Justice of High Courts), कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंधित अधिकारियों के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत की है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय सभापति राज्य सभा, माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित की गई है एवं इसकी प्रतिलिपि (शैक्षणिक संस्थानों और गणमान्य नागरिकों को भी प्रष्ठांकित की गई है (जिनसे भी यह संबंधित हो) जैसे,

- शिक्षण संस्थान जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण कीः कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, यू.एस.ए., और यूनिवर्सिटी आफ वाटरलू, ओन्टेरियो, कनाड़ा (Columbia University, New York, USA, and the University of Waterloo, Ontario, Canada)
- भारत तथा अमेरिका (यू.एस.ए.), कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) स्थित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों (academic institutions and personalities at large in India and USA, Canada, UK Australia) को प्रेषित जहां, भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश के बारे में निरंतर शोध कार्य चलते रहते हैं।

मुकदमों की मूल पृष्ठभूमि

- The Payment of Gratuity Act, 1972 का घोर उल्लंघन करते हुए MPLUN के MD द्वारा दिनांक 20–08–2002[7] को मेरी ग्रेच्युटी रोक दी गई। आश्चर्य यह था कि ये वही MD MPLUN थे जिन्होंने मुझे दिनांक 12–07–2002 को मेरे आवेदन पर voluntary retirement scheme (VRS) के नियमानुसार सेवानिवृत्ति प्रदान की थी। इस योजना के नियमानुसार सेवानिवृत्ति तभी दी जा सकती है जबकि आवेदक के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही लंबित न हो।

  हाई कोर्ट में मेरे द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन[1] (WP No. 562/2008) के पैरा क्रमांक 4, के जवाब (Return[3]) में स्वयं MPLUN के MD द्वारा स्वीकार किया गया कि स्वेच्छा सेवानिवृत्ति इसीलिए दी गई थी क्योंकि सेवानिवृत्ति के समय 'कोई भी विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी, तथा MD MPLUN द्वारा लगाई गई रिट अपील[8] (WA No. 393/2010) के पैरा क्रमांक 7 में भी इस कथन को पुनः दोहराया गया।

  The Payment of Gratuity Act, 1972 के अनुसार, (i) धारा 4(1) के अंतर्गत, ग्रेच्युटी सेवानिवृत्ति की तिथि से देय हो जाती है, और (ii) धारा 13 के अंतर्गत, ग्रेच्युटी को रोका नहीं जा सकता जिसे सुप्रीम कोर्ट एवं कई हाई कोर्टों ने भी मान्य किया है।

- तत्पश्चात, इस गैर कानूनी रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी का भुगतान करने के बजाय, दिनांक 23–07–2007[6] को इसी प्रकार से MD MPLUN द्वारा गैर–कानूनी DE बैठाई गई और वह भी दिनांक 12–07–2002 को सेवानिवृत्ति के पांच वर्ष बाद जो कि सेवानिवृत्त अधिकारी (retired officer) के विरूद्ध DE के संबंध में मध्यप्रदेश शासन के नियम 9(2)(b) का घोर उल्लंघन था।

  नियमानुसार मध्यप्रदेश शासन के नियम 9(2)(b) के अनुसार, सेवानिवृत्ति के चार वर्ष के बाद DE नहीं बैठाई जा सकती और चार वर्ष के भीतर भी जांच बैठाने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है, जो कि नहीं ली गई थी। साथ ही साथ इस DE का आधार भी झूठे, विरोधाभासी एवं मनगढ़ंत (false, contradictory and fabricated statements) तथ्य थे, जैसा कि बाद में निम्नलिखित दस्तावेजों से विदित हुआ:

  (i) MD MPLUN द्वारा मेरी रिट पिटीशन[1] (WP No. 562/2008) के जवाब (Return[3]) में दिये गये तथ्य, तथा

  (ii) MD MPLUN द्वारा स्वयं लगाई गई रिट अपील[8] (WA No. 393/2010) में दिये गये तथ्य।

वे कारण जिनसे प्रकरण अदालतों में गयाः चूंकि उपर्युक्त उल्लेखित गैर–कानूनी तरीके से बैठाई गई DE पर न तो MD MPLUN ने रोक लगाई और न ही उच्चाधिकारियों (प्रमुख सचिव (C&I), चीफ सेक्रेट्री) ने रोक लगाई और न ही ग्रेच्युटी को भी रिलीज किया गया, तब मैंने नवम्बर 2007 को हाई कोर्ट, जबलपुर की शरण में जाकर गुहार लगाई।

एक के बाद एक दर्ज किए गए चारों अंतसंबंधित मुकदमों की श्रृंखला का सारांशः
मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (main facts and elgal points): DE और ग्रेच्युटी, इन दोनों मुद्दों के इधर–उधर घूमते हुए, यहां पर चार अंतर्संबंधित मुकदमों की श्रृंखला है (a series four rounds of interrelated litigations), जो कि एक के बाद दूसरा, मध्यप्रदेश हाई कोट की जबलपुर बेंच में दाखिल किए गए।

इन मुकदमों की श्रृंखला का संक्षिप्त विवरणः

(1) रिट पिटीशन (WP No. 562/2008[1]):

मैंने हाई कोर्ट में **रिट पिटीशन** दाखिल की जिसके जवाब (Return[3]) मे MD MPLUN (तब MD श्री एस.के. मिश्रा, IAS थे एवं HOD कार्मिक श्री वी सी दुबे थे) द्वारा अनेक झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्य (false, contradictory and fabricated statements) लिखे गये। **विद्वान सिंगल न्यायाधीश महोदय** ने आदेश दिनांक 04-02-2010[5] द्वारा DE को निरस्त कर ग्रेच्युटी के भुगतान का आदेश दिया।

(2) रिट अपील (WA No. 393/2010[8]):

इस गैर कानूनी रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी का भुगतान करने के बजाय, तत्पश्चात MD MPLUN (तब श्री एम. गोपाल रेड्डी, IAS) द्वारा उसी हाई कोर्ट की Division Bench (DB) में उपर्युक्त रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 04-02-2010 को चुनौती दी गई, जिसमें उन्हीं झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्यों को दोहराया गया (reiterated the same false, contradictory and fabricated statements) जिन्हें पूर्व में मेरी रिट पिटीशन के जवाब (Return[3]) में लिखा गया था।

इस अपील के बिन्दु क्रमांक 8 एवं 9(b) में हाई कोर्ट के **विद्वान सिंगल न्यायाधीश महोदय पर झूठा आरोप लगाया गया** कि उन्होंने DE को निरस्त कर ग्रेच्युटी के भुगतान के अपने उस आदेश दिनांक 04-02-2010 को पारित करके स्पष्ट रूप से गलती की है ("… That the learned single Judge… has committed manifest error in law in passing the impugned order")

साथ ही साथ Division Bench (DB) से शत् प्रतिशत झूठ के आधार पर स्थगन आदेश (adjournments [11,12,13]) लिये गये कि वे सेवानिवृत्त अधिकारियों की DE (DE for the retired officers) के बारे में MPLUN के नियम प्रस्तुत करेंगे, जबकि ये नियम उनके अपने स्वयं के कथन पर ही **"मौन" ("silent")**[41] हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि MD MPLUN द्वारा अपने Supplementary Affidavit[14] में (तब MD MPLUN श्री आर.के. चतुर्वेदी, IAS थे) उन कारणों का जवाब ही नहीं दिया गया (evaded to reply) जिनके आधार पर स्थगन आदेश लिये गये थे। अंतिम स्थगन आदेश दिनांक 02-05-2012[13] को रूपये 500 (पांच सौ रूपये) की कीमत के साथ दिया गया था।

(3) प्रथम अवमानना पिटीशन नं. (Conc No. 226/2011[18]):

मेरे द्वारा यह प्रथम अवमानना पिटीशन लगाई गई क्योंकि मेरी उपर्युक्त रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 04–02–2010[5] का MD MPLUN (तब श्री विनोद सेमवाल, IAS) द्वारा पालन नहीं किया गया था जिसमें ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया था। इस अवमानना पिटीशन में माननीय न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16-05-2012 को आदेश दिया कि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाय क्योंकि Division Bench (DB) द्वारा सिंगल बेंच द्वारा उपरोक्त रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 04-02-2010 पर कोई रोक (स्टे) नहीं लगाई गई है। **इस प्रकार** रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 04-02-2010[5] की अवहेलना जा रही है। अंत में इस अवमानना पिटीशन पर डिस्पोजल आर्डर दिनांक 10-02-2018[28] हाई कोर्ट से झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर लिया गया।

(4) द्वितीय अवमानना पिटीशन, (Conc No. 843/2018[29]):

अतः मेरे द्वारा द्वितीय अवमानना पिटीशन, दायर की गई क्योंकि उपर्युक्त प्रथम अवमानना पिटीशन (Conc 226/2011) में डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018[28] झूठे कथन एवं तथ्यों को छिपाकर लिया गया था।

साथ ही साथ, जैसा कि इस वर्तमान अवमानना पिटीशन 843/2018 में चारों रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा दिये गये जवाब (Return[32-to-35]) से बाद में विदित हुआ, यह डिस्पोजल आदेश एक ऐसे अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता) द्वारा लिया गया था, जिसका जैसा कि डिस्पोजल आदेश में लिखा है, कि वे "रेस्पोन्डेन्ट के वकील" ("counsel of the Respondent") थे।

जबकि हकीकत यह है कि उस अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता) को न तो रेस्पोन्डेन्ट (श्री विनोद सेमवाल, IAS) न ही पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) द्वारा नियुक्त किया गया था। इस प्रकार यह डिस्पोजल आदेश, झूठे कथन एवं तथ्यों को छिपाने के अतिरिक्त, धोखाधड़ी से भी लिया गया। इस प्रकार उपरोक्त उल्लेखित हाई कोर्ट द्वारा पारित दोनों आदेशों की अवहेलना की जा रही है: (i) आदेश दिनांक 04-02-2010[5] जिसे रिट पिटीशन में पारित किया गया है, एवं (ii) आदेश दिनांक 16-05-2012[21] जिसे अवमानना पिटीशन में पारित किया गया।

इस द्वितीय अवमानना पिटीशन के जवाब (Return[32-to-35]) में सभी चारों रेस्पोन्डेन्ट्स (i, श्री वी.एल. कांताराव, IAS; ii, श्री विनोद सेमवाल, IAS; iii, श्री आर.के. चतुर्वेदी , IAS; तथा iv, श्री एम. गोपाल रेडी, IAS) ने तथ्यों को छुपाते हुए न केवल झूठे कथन लिखे बल्कि **उल्टा चोर कोतवाल को डांटे** जैसी चतुराई का भी सहारा लिया।

निष्कर्ष: **इस प्रकार झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्य** (false, contradictory and fabricated statements) को ही बार–बार हाई कोर्ट की Division Bench (DB) में भी MPLUN के MDs द्वारा प्रस्तुत किए गये; जा रहे हैं; स्थगन आदेश 100% झूठे कथनों के आधार पर बार–बार लिये गये; डिस्पोजल आर्डर झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर, धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया, जबकि हाई कोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों की अवहेलना की गयी ।

अंत में, मेरी उम्र 76 वर्ष है, और इस प्रकरण को वर्ष 2002 से चलते हुए अब 2022 के अंत तक 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं जो अभी भी चल रहा है एवं इसका कोई अंत नहीं दिखता ...

वर्ष 2002 से 2007 तक मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम/मध्य प्रदेश शासन, एवं वर्ष 2007 से 2022 तक जबलपुर हाई कोट में, जो अभी भी चल रहा है। आखिर न्याय के लिये कब तक इंतजार करें, अनंत काल तक!

(A) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) की नौकरशाही और सी एंड आई विभाग (Commerce and Industry Department), मध्यप्रदेश सरकार में 2002 से 2007 तक पांच वर्ष

(B) रिट पिटीशन[1] (WP No. 562/2008) में 2008 से लेकर 2010 तक तीन वर्ष,

(C) रिट अपील[8] (WA No 393/2010) में 2010 से 2022 तक 12 वर्ष (अभी तक लंबित),

(D) दो अवमानना पिटीशनः वर्ष 2011 से 2022 तक 12 वर्ष (अभी तक लंबित):

- प्रथम अवमानना पिटीशन[18] (Conc No. 226/2011), 2011 से लेकर 2018 तक 08 वर्ष, और
- द्वितीय अवमानना [29] (Conc No. 843/2018), 2018 से लेकर 2022 तक 4 वर्ष (अभी तक लंबित)

इस प्रकार यह रिपोर्ट,

(i) एक के बाद एक दर्ज किए गए चार अंतसंबंधित मुकदमों की श्रृंखला है, जिनमें MPLUN के MDs द्वारा पद का दुरूपयोग, **उत्पीड़न पर एक सामाजिक–कानूनी घटना** (socio-legal text book case on victimization) बन जाती है, एवं

(ii) **MPLUN के MDs द्वारा अदालत में बार–बार झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्य** (false, contradictory and fabricated statements) **देने से, हाई कोर्ट मेरे जैसे पीड़ित के लिये, लंबी अवधि तक चलने वाली मानसिक व्यथा एवं शारीरिक कष्ट देने का एक सशक्त माध्यम बन गई है** (an effective instrument of prolonged mental agony, physical exhaustion and emotional distress) ।

अतः यह रिपोर्ट, प्रमुखतया लम्बे समय तक इंतजार करने, जिसका कि कोई अंत नहीं है, से उपजी निराशा को प्रदर्शित करती है।

अधिकारियों के दुरूपयोग का सारांश जिनके कारण प्रकरण हाई कोर्ट में गया

मेरी (डॉ. सुरेश चन्द्र जैन) निम्नलिखित रिपोर्ट दिनांक 22-05-2004, (पृष्ठ 450), पर बदले की भावना से मुझे झूठा फंसाया गया:

भारतीय प्रशासन कानून से ऊपरः मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी[102]

(Indian bureaucracy above the law: a case study of Madhya Pradesh

इस रिपोर्ट में MD MPLUN, मुख्यसचिव एवं निचले स्तर (chief secretary and down below) एवं मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारों के दुरूपयोग का वर्णन है । इस रिपोर्ट के पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने निम्नलिखित पत्रों द्वारा एक जांच बैठाई:

(i) पत्र क्रमांक **एफ 6-46/04/अ/ग्यारह**, दिनांक 16-02-2005[108] द्वारा जांच करने के लिए डायरेक्टर, एसएसआई को नियुक्त किया। तत्पश्चात

(ii) डायरेक्टर, एसएसआई ने पत्र क्रमांक **निक/संचा (व्या. ल.उ.)/2004/349,** दिनांक 23-11-2004[109] द्वारा MPLUN के अति. प्रमुख संचालक (Additional MD MPLUN) को पत्र जारी किया।

परन्तु दोषी अधिकारियों को बचाने के लिये रिपोर्ट को दफना दिया गया । अन्त्योगत्वा यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखी गई एवं किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार इस रिपोर्ट के पश्चात, इस प्रकार, जांच का एक नाटक किया गया, जिसका उद्देश्य रिपोर्ट को दफनाना था।

इस रिपोर्ट का विस्तृत प्रकाशन हिन्दुस्तान टाइम्स भोपाल में दिनांक 26–06–2004 (पृष्ठ 3) पर पत्रकार मनीष दीक्षित द्वारा, शीर्षक "Bureaucracy in a tizzy over expose on LUN corruption" द्वारा किया गया।

इस **उर्पयुक्त** रिपोर्ट के पश्चात MPLUN के अनेक MDs, मुख्यसचिव एवं निचले स्तर, एवं मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारों का खुले तौर पर दुरूपयोग किया गया जिसकी परिणति निम्नलिखित वर्तमान रिपोर्ट (instant Report) में हुई :

हाई कोर्ट में झूठः
भारत में झूठा फंसाना एवं पद का दुरुपयोग-
कुशासन पर एक सामाजिक–कानूनी घटना-क्रम
21-12-2022

(Lies in the High Court:
Falsely framing and the abuse of power in India
A socio-legal textbook case on misgovernance)
December 21, 2022

MPLUN **के MDs द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग,** और उच्चतर प्राधिकारियों द्वारा जानबूझकर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने (dereliction of duty) के कारण ये मुकदमे शुरू हुएः

चारों अंतसंबंधित मुकदमों की श्रृंखला का सारांशः मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main facts and legal points):

पैरा	विवरण	पृष्ठ
	आमुखः	06
1	**रिट पिटीशन नं.** (Writ Petition, WP No. 562/2008[1]),	06
2	**रिट अपील नं.** (Writ Appeal, WA No. 393/2010[8])	08
3	**प्रथम अवमानना पिटीशन नं.** (Conc No. 226/2011[18])	08
4	**द्वितीय अवमानना पिटीशन नं.** (Conc No. 843/2018[29])	11
•	**अधिकारियों के दुरूपयोग का सारांश जिनके कारण प्रकरण हाई कोर्ट में गया** मेरी (डॉ. सुरेश चन्द्र जैन) निम्नलिखित रिपोर्ट दिनांक 22-05-2004, (पृष्ठ 450), पर बदले की भावना से मुझे झूठा फंसाया गया: **भारतीय प्रशासन कानून से ऊपरः मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी**[102] (Indian bureaucracy above the law: a case study of Madhya Pradesh	12

विषय सूची

(इस विषय सूची के हिन्दी अनुवाद में दिये गये पैरा नं. वही हैं, जो कि अंग्रेजी के सारांश (पृष्ठ **01 से 08**) एवं अंग्रेजी के ही अध्याय **1** से **4** (पृष्ठ **36** से **91**) में हैं।)

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
(i)	**आमुखः**	13
	> रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), हाई कोर्टो के मुख्य न्यायधीशों, कार्यपालिका, विधायिका एवं चयनित संस्थाएं एवं गणमान्य नागरिकों को प्रेषित	13
	> पवित्र बाइबल में पाप की कमाई को मृत्यु परंतु भारत की समसामयिक नौकरशाही में ईमानदारी की कमाई ... झूठे आरोप, प्रताड़ना, एवं यातना	13
	> सच्चे वादियों के लिये अदालतों को लंबी अवधि तक चलने वाली मानसिक व्यथा एवं शारीरिक कष्ट देने का एक सशक्त माध्यम बनाना; न्याय के लिए कब तक इंतजार करें– अनंतकाल तक!	13
	> गैर कानूनी DE द्वारा सामाजिक लांछन (कलंक) और संभाव्य पेशेवर अवसरों से (potential professional opportunities) वंचित करना,	14
	> **"सुशासन"** ("Good Governance") तथा "सबको न्याय" ("Justice for all") पर महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य एवं वर्तमान स्थिति	14
(ii)	अदालतों में निरन्तर बढ़ते हुए "बेहूदा एवं झूठे मुकदमों" पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणियां: अदालतों में **"बेहूदा एवं झूठे मुकदमे"** ("frivolous and false litigations") क्यों बढ़ रहे हैं? **अमेरिका, ब्रिटेन बनाम भारत**	15
1	**रिट पिटीशन नं. (Writ Petition, WP No. 562/2008[1])**	16
	1.1 DE के नियमों के बारे में झूठे एवं विरोधाभाषी कथन DE मप्र शासन के Rule 9 के अनुसार बैठाई गई क्योंकि MPLUN के नियम सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध DE के मामले में **"मौन" ("silent")** हैं " म. प्र. लघु उद्योग निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथापि निगम के सेवा नियम ऐसे प्रकरणों में मौन है जहां पर कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभागीय जाँच की जाना है। अतः प्राकृतिक न्याय के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए शासन के नियमों को सर्वोपरि माना जा सकता है एवं उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।" परंतु इस Rule 9 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। इस रिट पिटीशन के जवाब (Return)[3] में MD MPLUN ने अपने पूर्व **आदेश** के विरोधाभाषी कथन लिखा कि: ● मध्यप्रदेश शासन का Rule 9 लागू (Applicable) नहीं है, तथा ● MPLUN के Rule लागू (Applicable) होते हैं। इस तरह से DE कानूनन अमान्य (null-and-void) हो जाती है।	16
	1.2 गैर–कानूनी रूप से ग्रेच्युटी रोकना स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् ग्रेच्युटी को रोक कर झूठे एवं परस्पर विरोधाभासी कथनः ● स्वेच्छा सेवानिवृत्ति इसीलिए दी गई क्योंकि कोई "विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी ' (voluntary retirement was given because "no departmental action was pending" at the time of retirement) ● "पूर्ण ग्रेच्युटी इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि विभागीय कार्यवाही विचाराधीन/लंबित थी ।" ("...complete gratuity was not released as the departmental action was contemplated/pending"	16

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
	जैसा कि स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, और चूंकि ग्रेच्युटी राशि का बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया था तो यह कहना बिल्कुल झूठ एवं गुमराह करने वाला है कि **"पूर्ण ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया"।**	
	1.3 झूठे आरोप लगाते हुए एकपक्षीय (ex parte[6]) DE आरोप पत्र का कोई जवाब नहीं दिए जाने का झूठा आरोप लगाते हुए एकपक्षीय (ex parte[6]) DE दिनांक 23–07–2007[6] को बैठाई (" **उनके द्वारा लिखित बचाव प्रतिरक्षण नहीं किये जाने के कारण ... एक पक्षीय कार्यवाही** "), जबकि मेरा जवाब नस्ती में उपलब्ध है जिसे MPLUN के पत्र क्रमांक 17-02-2010[59] में स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया है: मेरे इस जवाब दिनांक 21–11–2005 की प्रतिलिपि रिट पिटीशन[1] में एनेक्चर पी–11 में लगाई थी जिसका उल्लेख एनेक्चर पी–6 में भी है।	17
	(1.4) DE के लिये जारी कारण बताओ शोकॉज नोटिस दिनांक 05-10-2002 लोकायुक्त के झूठे नाम से DE बैठाने के पूर्व माननीय लोकायुक्त[41, 42] महोदय के फर्जी नाम से (fabricated the name of Lokayukta) कारण बताओ नोटिस दिनांक 05-10-2002[8 and 3] जारी किया, एवं वह भी जबकि MD MPLUN अपने ही लिखे को स्वयं अपने द्वारा ही झूठा सिद्ध कर रहे थे 25 दिन पश्चात् वाली तारीख दिनांक 29-10-2002 द्वारा लोकायुक्त महोदय के रिपोर्ट से दिनांक 05–10–2002 द्वारा जारी किये गये कारण बताओ नोटिस को जस्टीफाई किया जा रहा है जो भी स्वयं के कथन के आधार पर ही अगले चार माह पश्चात् जनवरी 2003 में MPLUN में प्राप्त हुआ। चूंकि रिट अपील[8] एवं रिट पिटीशन[1] के जवाब[3] (Return) में उल्लेखित शोकाज नोटिस दिनांक 05–10–2002[3 and 8] का **पूरा प्रकरण फर्जी व मनगढ़ंत (false and fabricated) है, इसलिए कोई भी दस्तावेज हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।** MD MPLUN ने बिना फाइल देखे DE की अनुमति प्रदान कर दी, (जांच करने के पश्चात निर्णय लेने का तो जैसे प्रश्न ही नहीं उठता)	17
	1.5 शासन के नियम 9 के अनुसार DE कालवर्जित के बारे में झूठ लिखा गया शासन के नियम 9 के अनुसार दिनांक 23-07-2007 को घटित DE के संबंध में रिट पिटीशन [1] के रिटर्न[3] में झूठ लिखा गया कि दिनांक 12-07-2002 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् DE कालवर्जित नहीं है ("It is incorrect that the initiation of Departmental Enquiry is barred by time and is ex facie illegal and *void ab initio*.") इस नियम 9 के अनुसार, DE किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्ति के चार वर्ष के बाद नहीं बैठाई जा सकती और चार वर्ष के भीतर भी यदि DE बैठाना आवश्यक हो तो माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन आवश्यक है, जो कि नहीं लिया गया। **MD MPLUN** द्वारा DE बैठाते समय सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में DE बैठाने के संबंध में समय सीमा (time limit) पर पूर्व MD MPLUN (श्री बी पी सिंह, IAS, जो बाद में मुख्य सचिव बने) द्वारा उठाये गए प्रश्न दिनांक 15-03-2007 को छिपाया गया, (**"Retirement" के कितने दिन बाद तक DE हो सकती है? "**[58]) शेष विवरण उपरोक्त बिन्दु 1.1 में दिये गये तथ्यों पर आधारित है।	18
	● **1.6 अदालत का जजमेन्ट** अंत में माननीय न्यायाधीश ने अपने **आदेश** दिनांक 04–02–2010 में रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए DE निरस्त कर दी तथा ग्रेच्युटी का भुगतान करने का **आदेश** दिया।	19

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
2	**रिट अपील (Writ Appeal, WA No. 393/2010[8])**	19
	2.1 **रिट अपील** इस अपील के बिन्दु क्रमांक 8 एवं 9(b) में **विद्वान सिंगल न्यायाधीश महोदय पर झूठा आरोप लगाया गया** कि उन्होंने इस आदेश दिनांक 04-02-2010 को पारित करके स्पष्ट रूप से गलती की है ("… that the learned single Judge… has committed manifest error in law in passing the impugned order") विद्वान सिंगल न्यायाधीश महोदय द्वारा इस आदेश दिनांक 04-02-2010 में DE को निरस्त करने तथा ग्रेच्युटी का भुगतान करने के आदेश दिये गये थे।	19
	2.2 इस रिट अपील में वही झूठे विरोधाभाषी एवं मनगढंत तथ्य इस रिट अपील में उन्हीं झूठे, विरोधाभासी एवं मनगढ़ंत तथ्यों को दोहराया reiterated the same false, contradictory and fabricated statements) गया जिन्हें कि रिट पिटीशन [1] (WP No. 562/2008) के उत्तर में (return[3]/reply to the Writ Petition) पूर्व में प्रस्तुत किया गया था (जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 (1.1 से 1.5 में दिया जा चुका है)	19
	2.3 झूठ बोलकर स्थगन आदेश लेना MD MPLUN द्वारा हाई कोर्ट की Division Bench (DB) स्थगन **आदेश** दिनांक 21–09–2011[11] दिनांक 04–04–2012[12] एवं 02–05–2012[13] इस आधार पर लिये गये वे सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ DE बैठाने के संबंध में MPLUN के नियमों को प्रस्तुत करेंगे जबकि हकीकत यह है कि यह नियम वास्तव में **"मौन" ("silent")**[41] हैं। दिनांक 02–05–2012[13] **स्थगन आदेश रूपये 500 (पांच सौ) की कीमत पर दिया गया।**	19
	2.4 **कोई आश्चर्य नहीं कि तत्पश्चात Supplementary Affidavit[14]** दिनांक 18-06-2012 में MD MPLUN द्वारा उन कारणों का जवाब नहीं दिया **(evaded to reply)** जिनके आधार पर स्थगन **आदेश** लिये गये थे	19
	2.5 **दिनांक 11–05–2010 को रिट अपील[8] करने के बाद, सभी उत्तरवर्ती** (subsequent) MDs of MPLUN ने भी इस गैरकानूनी रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी पर रोक लगाकर रखी,	20
	2.6 **MD MPLUN ने रिट अपील दायर करने के अपने विलंब के लिए माफी** हेतु आवेदन दिनांक 11–05–2010 के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (documentary evidence) प्रस्तुत नहीं किए।	20
	2.7 **तदनुसार, Respondent/Petitioner (डॉ एस सी जैन) ने प्रपत्र क्रमांक** (document no.) 13491/18, दिनांक 29-09-2008[15] द्वारा रिट अपील एवं Supplementary Affidavit[14] के जवाब (Return) प्रस्तुत किया।	20
3	**प्रथम अवमानना पिटीशन नं. (Conc No. 226/2011[18])**	20
	3.1 रिट पिटीशन के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना पिटीशन: चूंकि उपर्युक्त रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 04-02-2010 के अनुसार MD MPLUN द्वारा ग्रेच्युटी रिलीज नहीं की गई थी, अत: यह अवमानना पिटीशन फाइल की गई जिसके अंतर्गत माननीय न्यायाधीश ने दिनांक 16–05–2012[21] को आदेश दिया गया कि ग्रेच्युटी का भुगतान दो हफ्ते में किया जाये, क्योंकि आदेश दिनांक 04–02–2010[5] पर Division Bench (DB) द्वारा कोई रोक (stay) नहीं लगाई गई थी।	20

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
	(3.2) अवमानना पिटीशन के जवाब में झूठ का बोलवाला इसके पश्चात, 04–02–2010 और 16–05–2012 के दोनों ही आदेशों का रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) द्वारा निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है। इस अवमानना पिटीशन पर धोखाधड़ी तथा झूठे कथन एवं तथ्यों को छिपाकर अदालत से दिनांक 10-02-2018[28-A] को डिस्पोजल आर्डर प्राप्त किया गया । (जैसा कि बाद में ज्ञात हुआ, इस डिस्पोजल आर्डर को एक ऐसे वकील द्वारा लिया गया जिसे न तो रेस्पोन्डेन्ट (श्री विनोद सेमवाल) एवं न ही पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) द्वारा इन्गेज (engage) किया गया था।	20
	(3.2.1) रेस्पोन्डेन्ट श्री विनोद सेमवाल द्वारा झूठ पर झूठ रेस्पोन्डेन्ट श्री विनोद सेमवाल ने अपनी "Application for exoneration of rule Nisi" [22], दिनांक 19-06-2012 एवं अपनी प्रथम अवमानना पिटीशन के रिटर्न[19] में अनेक झूठे तथ्य प्रस्तुत किए जैसे हाई कोर्ट के आदेशों के अपने उल्लंघन को छिपाते हुए, झूठ लिखकर संचालक मंडल के ऊपर थोप दिया, और इस तरह अन्य अनेक झूठ भी लिखे।	21
	(3.2.2) झूठ बोलकर स्थगन आदेश लिया ग्रेच्युटी रिलीज करने के बजाय लंबित रिट अपील के प्रकरण में MD MPLUN ने 15–12–2016[25] को झूठे बहानों से स्थगन आदेश प्राप्त किया जो कि तथ्यों को गुमराह करते हुए, लंबित रिट अपील[8] तथा पिटीशनर द्वारा एक अंडरटेकिंग ("undertaking") की आड़ में लिया गया।	21
	(3.2.3) अन्य व्यक्तियों को रेस्पोन्डेन्ट बनाने के बारे में एपलीकेशन दबा ली गई पिटीशनर द्वारा दायर एपलीकेशन दिनांक 11-12-2017[27] को दबा दिया गया जिसमें अन्य व्यक्तियों को रेस्पोन्डेन्ट बनाने के बारे में निवेदन किया गया था। इस निवेदन में ग्रेच्युटी के पेमेन्ट बावत नियमों के उल्लंघन का उल्लेख था।	21
	(3.2.4) **इन रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) ने इस तथ्य को छिपाया कि** पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) ने ग्रेच्युटी को क्यों वापिस कर दिया था सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद अपराधिक कर्महीनता, अत्यधिक देरी एवं लापरवाही (culpable inaction, inordinate delay and neglect) के साथ किया गया ग्रेच्युटी का भुगतान इस लिए लौटा दिया गया क्योंकि इसका भुगतानः (i) एक गैर–कानूनी[45 and 47] शर्त लगाकर किया गया गया था जबकि हाई कोर्ट द्वारा 04–02–2010[5] और 16–05–2012[21] को पारित किए गए दो आदेशों में किसी भी प्रकार से कोई भी शर्त नहीं लगाई गई थी। यह गैर कानूनी शर्त निम्नलिखित हैः **(" यदि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 393/10 में डॉ. एस. सी. जैन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो उन्हें भुगतान की गयी समस्त राशि निगम में वापस जमा करना होगा।").** (ii) यह भुगतान बिना किसी ब्याज के किया गया जो कि The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 8 का घोर उल्लंघन है जिसे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया हुआ है।	21

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
	(3.2.5) Leave encashment के भुगतान पर झूठ बोला MD MPLUN ने अपने पत्र दिनांक 02-06-2018[49] द्वारा Leave encashment का चेक भेजा जबकि डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 में स्पष्ट लेख है कि सारे भुगतान कर दिये गये हैः ("order passed by this Court has been complied with. Compliance report has been filed".) इस प्रकार डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 के चार माह पश्चात दिनांक 02-06-2018[49] को भुगतान दिया गया था जिससे स्वतः स्पष्ट है कि डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 झूठ बोलकर प्राप्त किया गया था।	23
	(3.2.6) ग्रुप इन्श्योरेंस के भुगतान के बारे में झूठ बोला ग्रुप इन्श्योरेंस (Group Insurance (GSLI) का भुगतान कभी भी नहीं किया गया है जबकि डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 में स्पष्ट लेख है कि, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में भी लिखा है, सारे भुगतान कर दिये गये हैं: ("order passed by this Court has been complied with. Compliance report has been filed".) (पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) ने अपनी रिट पिटीशन Writ Petition[1], (WP No. 562/2008, Para 5.1) में स्पष्ट लिखा था कि सेवा निवृत्ति दिनांक 12-07-2002 को ●ग्रेच्युटी, ●लीव एनकेसमेंट एवं ●ग्रुप इन्श्योरेंस (GSLI)का भुगतान होना है।	23
	(●) निष्कर्षः अतः स्पष्ट है कि, जैसा कि उपर्युक्त बिन्दुओं 3.2 (3.2.1 से 3.2.6 तक) उल्लेख किया गया है, डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया जैसा कि इस डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 में ही लेख है कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया है तब सक्षम अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अवमानना पिटीशन दाखिल की जा सकती है ("It is made clear that if the order has not been complied with, then appropriate action shall be taken against the competent person in the second contempt") अतः एक सेकेण्ड कन्टेम्प्ट पिटीशन (a second Contempt Petition, Conc No. 843/2018) प्रस्तुत कर दी गई है (जिसका विवरण अगले बिन्दु क्रमांक 4 में दिया गया है।	23
	(3.3) पिटीशनर ने अपने विभिन्न डाक्युमेंट्स जिसमें उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का लेख है, हाई कोर्ट में पेश किये हुए हैः IA No. 6664/2014, दिनांक 22-04-2014[23] IA No. 595/2015, दिनांक 24-01-2015[24] Application दिनांक 19-05-2017[26] IA No. 18324/17, दिनांक 11-12-2017[27]	23

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
4	द्वितीय अवमानना पिटीशन नं. **(Conc No. 843/2018[29])**	24
	(4.1) प्रथम अवमानना पिटीशन में डिस्पोजल आर्डर झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया जैसा कि पूर्व बिन्दु क्रमांक 3.2 (3.2.1 से 3.2.6) में लेख है कि प्रथम अवमानना पिटीशन 226/2011 में, डिस्पोजल आर्डर दिनांक 10-02-2018[28-A] झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया। इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) द्वारा हाई कोर्ट द्वारा पारित दोनों आदेशों का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है जो इस प्रकार हैं: (1) आदेश दिनांक 04-02-2010[5] जिसे रिट पिटीशन में पारित किया गया है, एवं (2) आदेश दिनांक 16-05-2012[21] जिसे अवमानना पिटीशन में पारित किया गया)	24
	(4.2) यह डिस्पोजल आदेश धोखाधड़ी से भी लिया गया (झूठे तथ्य एवं तथ्यों को छुपाने के अतिरिक्त) इस अवमानना पिटीशन पर दिनांक 10–02–2018[28-A] को डिस्पोजल आर्डर पारित हुआ जिसे एक अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता, मेसर्स मिश्रा असोसिएट्स) द्वारा लिया गया जो झूठे कथनों और मूल तथ्यों (material facts) को छिपाते हुए लिया गया। साथ ही साथ, जैसा कि इस वर्तमान अवमानना पिटीशन 843/2018 में चारों रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा दिये गये जवाब (Return[32-to-35]) से बाद में विदित हुआ, यह डिस्पोजल आदेश एक ऐसे अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता) द्वारा लिया गया था जिसका जैसा कि डिस्पोजल आदेश में लिखा है कि वे ''रेस्पोन्डेन्ट के वकील'' ("counsel of the Respondent") थे। जबकि हकीकत यह है कि इस अधिवक्ता को न तो रेस्पोन्डेन्ट (श्री विनोद सेमवाल) और न ही पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) द्वारा नियुक्त किया गया था।	24
	(4.3) **इस द्वितीय अवमानना पिटीशन के जवाब में झूठ का बोलवाला** इस द्वितीय अवमानना पिटीशन के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट्स (MPLUN के सभी चार MDs) ने एक बार फिर से गलत कथनों और मूल तथ्यों को छिपाते हुए अपने जवाब (Return[32-to-35]) दिए। यहाँ उन्होंने **उल्टा चोर कोतवाल को डाटे** का सहारा लिया जिसमें वे अपने ही लिखे को स्वयं अपने द्वारा ही झूठा सिद्ध कर रहे थे (while nailing their own lies at the same time)।	25
	(4.3.1) **बार–बार अवमानना पिटीशन डालने का झूठा दोषारोपण** इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने बुरी तरह से भ्रम में डाला कि पिटीशनर ने ''दोषारोपण करते हुए बार–बार अवमानना पिटीशन'' ("prosecuting repeated contempt petition"[32] (in Para 6 and 12.) लगाई हैं तथा यह भी कहा कि "इस अवमानना पिटीशन को औरों के लिये आदर्श बनते हुए भारी दण्ड के साथ खारिज किया जाये" ("... Instant contempt case deserves to be dismissed with heavy exemplary cost ..." [32] (Para 6 and 12)	25
	(4.3.2) रेस्पोन्डेन्ट ने रूकी हुई ग्रेच्युटी के बारे में 100 प्रतिशत झूठ लिखा यह 100 प्रतिशत झूठ लिखा है कि "पिटीशनर के सेवानिवृत्ति भुगतानों को रिट अपील के लंबित होते हुए भी कभी नहीं रोका" ("never withheld any retiral dues of the petitioner despite the pendency of their writ appeal"[32])	25

पैरा	मुख्य तथ्य और कानूनी बिन्दु (Main Facts And Legal Points)	पृष्ठ
	(4.3.3) इन रेस्पोन्डेन्ट ने इस तथ्य को छिपाया कि ग्रेच्युटी को क्यों वापिस कर दिया गया रेस्पोन्डेन्ट ने 15 वर्ष की देरी से भुगतान की गई ग्रेच्युटी को वापिस करने के कारणों को छुपाते हुए लिखा कि: "पिटीशनर ने न केवल सेवोपरांत देय भुगतान को स्वीकार करने से मना कर दिया बल्कि पिटीशनर ने प्रतिवादियों द्वारा उनके सेवोपरांत देय भुगतान के चैक को भी वापिस कर दिया।" (original in english) " … Petitioner has not only refused to accept his retiral dues but petitioner also returned the cheques of his retiral dues sent by the respondents[32]" (in Para 6, and repeated in Para 6-to-12). इस प्रकरण का उल्लेख पूर्व पैरा क्रमांक 3.2.4 में भी किया हुआ है।	26
	(4.3.4) **इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने Rule Nisi के बारे में गलत तरह से बताया कि** "……Rule nisi issued against answering respondent is just and expedient to be discharged…"[32] (In Para 12) वास्तव में रूल निसी (Rule Nisi) एक सशर्त आदेश है। Rule Nisi से तात्पर्य है कि पक्षकार को न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित शर्तों का अनुपालन करना पड़ेगा जब तक कि इस आदेश को अंतिम आदेश में नहीं बदल दिया जाता। परंतु, तथ्य यह है कि 04–02–2010[5] और 16–5–2012[21] के दोनों ही आदेश हाई कोर्ट के अंतिम आदेश थे और इनमें कोई भी किसी भी तरह की शर्त नहीं है। इस प्रकार हाई कोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों की अवहेलना की जा रही है	27
	(4.3.5) इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने धोखाधड़ी से पारित डिस्पोजल आर्डर को अपने पक्ष में लिखा इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने प्रथम अवमानना पिटीशन[18] Conc No. 226/2011) में धोखेबाजी से प्राप्त डिस्पोजल आर्डर 10–02–2018[28-A] का उल्लेख करते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि "पिटीशनर द्वारा लगाए गए प्रथम अवमानना रिट पिटीशन के प्रकरण में इस माननीय न्यायालय ने प्रकरण का निपटान कर दिया है…" ("... In the previous contempt case preferred by the petitioner and this Hon'ble Court has been pleased to dispose of the same[32] ..." (Para 11) इस प्रकरण का विवरण उपर्युक्त बिन्दु 4.2 में भी दिया गया है।	27
	(4.4) **पिटीशनर ने अपने विभिन्न डाक्युमेंट्स जिसमें उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का लेख है, हाई कोर्ट में पेश किये हुए हैं:** (4.4.1) कन्टेम्प्ट पिटीशन Contempt Petition[29], Conc No. 843/2018 (4.4.2) अतिरिक्त दस्तावेज (additional documents) प्रस्तुत किए (Document No. 7361/18) 18-06-2018[31] दिनांक (4.4.3) Application dated 19-05-2017[26] (4.4.4) कन्टेम्प्ट पिटीशन के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा दिये गये जवाब (Returns[32-to-35]) दिनांक 10-10-2018[32-to-35] (Document No. 7732-to-7236[32-to-35]) (4.4.5) रेस्पोन्डेन्ट्स के जवाब में पिटीशनर द्वारा दाखिल रिज्वाइन्डर Rejoinder dated 22-11-**2018**[36-to-39] (vide Document No. 8649-to-8652/2018)	27
•	**अधिकारियों के दुरूपयोग का सारांश जिनके कारण प्रकरण हाई कोर्ट में गया** मेरी (डॉ. सुरेश चन्द्र जैन) निम्नलिखित रिपोर्ट दिनांक 22-05-2004, (पृष्ठ 450), पर बदले की भावना से मुझे झूठा फंसाया गया: **भारतीय प्रशासन कानून से ऊपरः मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी[71]** **(Indian bureaucracy above the law: a case study of Madhya Pradesh**	28

(i) आमुख (Preface)

> रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), हाई कोर्टो के मुख्य न्यायधीशों, कार्यपालिका, विधायिका एवं चयनित संस्थाएं एवं गणमान्य नागरिकों को प्रेषित

मैंने यह रिपोर्ट भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, विभिन्न हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों (Chief Justice of India and Chief Justice of High Courts), कार्यपालिका एवं विधायिका के संबंधित अधिकारियों के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत की है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, माननीय सभापति राज्य सभा, माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को प्रेषित की गई है एवं इसकी प्रतिलिपि (शैक्षणिक संस्थानों और गणमान्य नागरिकों को भी प्रष्ठांकित की गई है (जिनसे भी यह संबंधित हो) जैसे,

- शिक्षण संस्थान जहाँ मैंने शिक्षा ग्रहण कीः कोलम्बिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क, यू.एस.ए., और यूनिवर्सिटी आफ वाटरलू, ओन्टेरियो, कनाड़ा (Columbia University, New York, USA, and the University of Waterloo, Ontario, Canada)
- भारत तथा अमेरिका (यू.एस.ए.), कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूनाईटेड किंगडम (यू.के.) स्थित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों (academic institutions and personalities at large in India and USA, Canada, UK Australia) को प्रेषित जहां, भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश के बारे में निरंतर शोध कार्य चलते रहते हैं।

> पवित्र बाइबल में पाप की कमाई को मृत्यु परंतु भारत की समसामयिक नौकरशाही में ईमानदारी की कमाई ... झूठे आरोप, प्रताड़ना, एवं यातना

पवित्र बाइबल में पाप की कमाईः पवित्र बाइबल में पाप की कमाई को मृत्यु (रोमन 6:23, wages of sin is death) बताया गया है, परंतु भारत की समसामयिक नौकरशाही में ईमानदारी की कमाई के बारे में तो जैसा कि इस रिपोर्ट में लिखा है – झूठे आरोप, प्रताड़ना और यातना!

मैंने 1970 से 1983 तक जीवन के 12 वर्ष कनाडा और अमेरिका में बिताए जहाँ मैंने मेडलैण्ड इण्टरप्राइजेस, आईबीएम, डेयटन वाल्दर, जीटीई, मैसी फर्गुसन, एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड (AECL) आदि कम्पनियों में काम किया। मैंने कोलम्बिया यूनिवर्सिटी, न्यूयार्क, अमेरिका से, 1976 में मास्टर आफ एजूकेशन (EdM), एवं 1979 में डॉक्टर आफ एजूकेशन (EdD (PhD), तथा यूनिवर्सिटी आफ वाटरलू, ओन्टेरियो, कनाडा, से 1974 में बैचलर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टडीज (BIS) डिग्रियां प्राप्त की।

इसके बाद मैं 1983 मे, भारत लौट आया और मैंने MPLUN (मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम), मध्यप्रदेश शासन का उपक्रम, भोपाल (अध्याय 7) में मुख्य महाप्रबंधक का पदभार ग्रहण किया। इसके पश्चात, मैंने वर्ष 2002 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति (voluntary retirement under voluntary retirement scheme (VRS) ले ली। चूंकि, भारत में मेरी यह पहली नौकरी थी मेरे कटु अनुभव कुछ इस प्रकार रहेः

- **मैं सरकारी कार्यप्रणाली में प्रचालित भ्रष्टाचार और/अथवा अनियमितता से अनभिज्ञ था।**
- **एवं इस प्रकार मेरा "पाप" सिर्फ इतना रहा कि मैं स्वयं को कभी भ्रष्टाचार और/अथवा अनियमितताओं में शामिल नहीं कर पाया।**

> सच्चे वादियों के लिये अदालतों को लंबी अवधि तक चलने वाली मानसिक व्यथा एवं शारीरिक कष्ट देने का एक सशक्त माध्यम बनाना, न्याय के लिए कब तक इंतजार करें– अनंतकाल तक!

अदालतों से न्याय पाने में अनेक वर्ष एवं दशक लग जाते हैं। आखिरकार, **"अदालत अपना वक्त लेगी... पूरी प्रक्रिया अपने आप में एक दंड है",** जैसा कि विख्यात पत्रकार **शेखर गुप्ता** ने लिखा (दैनिक भास्कर, भोपाल, सितम्बर 22, 2020, पृष्ठ 8)।

न्याय पाने में असाधारण देरी, जिसमें अनेक वर्ष एवं दशक तक लगने के कारण अनेक व्यक्ति झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्यों अदालतों में प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, क्योंकि सच्चे व्यक्ति अनेक वर्ष एवं दशकों में हतोत्साहित हो जाते हैं अथवा साधन रहित हो जाते हैं, जैसे समय का अभाव, धन की कमी, आदि आदि। इस प्रकार अदालतों से न्याय पाना एक यातना भरी यात्रा बनकर रह जाती है।

सरकारी अधिकारियों एवं राजनीतिज्ञों (मंत्री, सांसद, एम.एल.ए. आदि) के विरुद्ध पद का दुरुपयोग एवं/अथवा भ्रष्टाचार करने के विरुद्ध न्याय गुहार लगायी जाती है, तो यह वास्तव में पत्थर की दीवार में सिर मारने के समान है, घने जंगल में चिल्लाने के समान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुकदमा अनेक वर्षों एवं दशकों तक खींचा जा सकता है।

इस प्रकार यह रिपोर्ट,

(i) एक के बाद एक दर्ज किए गए चार अंतसंबंधित मुकदमों की श्रृंखला है, जिनमें MPLUN के MDs द्वारा पद का दुरूपयोग, **उत्पीड़न पर एक सामाजिक–कानूनी घटना** (socio-legal text book case on victimization) बन जाती है, एवं

(ii) **MPLUN के MDs द्वारा अदालत में बार–बार झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्य** (false, contradictory and fabricated statements) **देने से, हाई कोर्ट मेरे जैसे पीड़ित के लिये, लंबी अवधि तक चलने वाली मानसिक व्यथा एवं शारीरिक कष्ट देने का एक सशक्त माध्यम बन गई है** (an effective instrument of prolonged mental agony and exertion) ।

अतः यह रिपोर्ट, प्रमुखतया लम्बे समय तक इंतजार करने, जिसका कि कोई अंत नहीं है, से उपजी निराशा को प्रदर्शित करती है।

कोई आश्चर्य नहीं कि कल्पेश याज्ञनिक, ग्रुप एडिटर, दैनिक भास्कर, भोपाल, ने अदालतों में बोले जा रहे झूठ के बारे में लिखा कि: **"अमेरिकी वकील अपने मुवक्किल से सीधे पूछते हैं – यदि आप सचमुच दोषी हैं – और बचना चाहते हैं तो किसी भारतीय मूल के वकील के पास जाइए –एक प्रचलित झूठ"** [दैनिक भास्कर, भोपाल, जुलाई *30, 2016, पृष्ठ 17*]

> गैर कानूनी DE द्वारा सामाजिक लांछन (कलंक) और संभाव्य पेशेवर अवसरों से (potential professional opportunities) वंचित करना

गैर कानूनी तरीके से बिठाई गई DE का सामाजिक लांछन प्रभावी रूप से उस उद्देश्य को ही नकार देता है जिसके लिए स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली गई थी और जो कि 56 वर्ष की आयु में ली गई थी।

सेवानिवृत्ति के पश्चात बिठाई गई DE का प्राथमिक उद्देश्य निःसंदेह मुझे संभाव्य नियोक्ता और/अथवा सहयोगियों (depriving me of potential opportunities) से वंचित रखना था। कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं एक उच्च शिक्षित एवं उच्च अधिकारी रहा हूं जिसके पास अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से EdD (PhD) तथा केनेडा की university of waterloo से BIS की उपाधियां हैं तथा मध्य प्रदेश शासन के संस्थान, MPLUN से Chief General Manager के पद से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति ली। मेरे अनेक प्रकाशन भी हैं। इस तरह से यह मानसिक कष्ट, शारीरिक थकान, और भावात्मक तनाव सेवानिवृत्ति वर्ष 2002 से मुकदमा चल रहा है जिसमें (वर्ष 2022 के अंत तक) 20 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। इसमें वित्तीय बोझ का तो कोई आंकलन ही नहीं है।

गैर कानूनी रूप से बिठाई गई DE और तदुपरांत कानूनी कार्यवाहियों ने मेरे सेवानिवृत्त जीवन (retired life) को जकड़ रखा है और अनंत क्षति पहुँचाई है। आज वर्ष 2022 में मेरी उम्र 76 वर्ष है और मुझे इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता।

> "सुशासन" ("Good Governance") तथा "सबको न्याय" ("Justice for all") पर महामहिम राष्ट्रपति एवं माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य एवं वर्तमान स्थिति

भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी ने **'सभी न्यायिक मंच में शीघ्र एवं वहन योग्य न्याय प्रदान करने वाला तंत्र तैयार करने....' "... Quick and affordable justice delivery system in all judicial forums ..."**, का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन और सबको न्याय के बारें में भारत एवं विदेशों में भी बार–बार कहा है (**"Good Governance" ("सुशासन") and "Justice for all" ("सबको न्याय")** (देखे अध्याय 8)।

मैं आशा एवं प्रार्थना करता हूं कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अपने कहे अनुसार भारत में एक दिन अवश्य ही "सुशासन" ("Good Governance") तथा "सबको न्याय" ("Justice for all") लायेंगे। वर्तमान भारत (contemporary India) में 1947 में प्राप्त आजादी के 75 वर्ष बाद भी आज (2022) में एक आम सामान्य नागरिक के लिये अधिकारियों/मंत्रियों द्वारा पद के दुरूपयोग के विरुद्व लड़ना, तथा न्यायालयों से न्याय पाने की उम्मीद रखना, एक दिवास्वप्न (daydreaming) से अधिक कुछ नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि जैसा कि उपर्युक्त लिखा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी एस ठाकुर [तत्पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश] ने कहा कि:

> **"सरकार देश की सबसे बड़ी पार्टी अर्थात मुकदमेबाज है .... सरकार के खिलाफ बढ़ते मुकदमे सुशासन के अच्छे संकेत नहीं हो सकते"**

(ii) अदालतों में "बेहूदा एवं झूठे मुकदमों " पर सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों की टिप्पणियां:

अदालतों में **"बेहूदा एवं झूठे मुकदमे"** ("frivolous and false litigations") क्यों बढ़ रहे हैं? **अमेरिका, ब्रिटेन बनाम भारत** (Original given in Introduction, Page 01-to-05) in English with proper documentation)

- *"यह चिंता का विषय है कि सरकार एवं सांविधिक प्राधिकरणों द्वारा बेहूदा एवं झूठे मुकदमों का अंबार लग रहा है..."* न्यायाधीश आर वी रवीद्रन और जी एस सिंघवी की न्यायपीठ

- "सरकार देश की सबसे बड़ी पार्टी अर्थात मुकदमेबाज है .... सरकार के खिलाफ बढ़ते मुकदमे सुशासन के अच्छे संकेत नहीं हो सकते", सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश टी एस ठाकुर [तत्पश्चात् सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश]

- "न्यायालय में बेहूदा और झूठे मुकदमों से न्यायपालिका को अवरूद्ध न करें", सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की बेंच ने भारत सरकार से कहा।

- मनगढ़ंत प्रकरण अदालत को अव्यवहारोपयोगी बना रहे हैं ("Frivolous cases making court dysfunctional…") मुझे आज की सुनवाई के बारे में फाइलें पढ़नी थी। और 90 प्रतिशत प्रकरण मनगढ़ंत थे। माननीय न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, QC, ने अपने अनुभवों के आधार पर निष्कर्षपूर्वक कहा कि: "न्यायपालिका को अवरूद्ध कर रहे लगभग 80 प्रतिशत मुकदमों में सरकार एक प्रमुख पार्टी है। इनमें से अधिकतर मुकदमे न्यूनतम मानक शासन प्रदान करने में अक्षम अधिकारियों की विफलता का परिणाम हैं।"

अदालतों में झूठे वक्तव्य इसीलिए प्रस्तुत किए जाते हैं क्योंकि, जैसा कि अरूण शौरी, एक जाने माने पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री, ने पूर्व अटार्नी जनरल ऑफ इंडिया (श्री अशोक देसाई) और लॉर्ड विंघम, जो बाद में इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश बने, लिखा कि भारत के न्यायालय झूठे तथ्यों को प्रस्तुत करने वालों को कठोर सजा नहीं देते जबकि अमेरिका कठोर दण्ड देता है, क्योंकि जो अमेरिका में झूठी अपील करते हैं:

> "....वे वास्तविक परिप्रेक्ष्य को लेकर चलते हैं कि यदि उनकी अपील निराधार पाई जाती है तो उनकी सजा और भी कठोर होगी " **"... They run the real prospect that, if their appeal is found to be without foundation, the sentence will be severely enhanced... "**

बिबेक देबराय ने लिखा कि:

> "न्यायालय की आत्मा में झूठी गवाही: **अनेक व्यक्ति शपथ के साथ झूठी गवाही देते हैं,** परंतु जटिल कानूनी प्रक्रिया एवं इच्छा के अभाव में, अपराध के लिए अभियोजन प्रक्रिया एक दुर्लभ वस्तु बनकर रह जाती है। ...
>
> Indian Penal Code (IPC) आई पी सी की धारा 191 एवं 193 के अनुसार "मिथ्या साक्ष्य देने के लिए दण्ड का स्पष्ट प्रावधान है "
>
> धारा 191. मिथ्या साक्ष्य देना–जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपलन्ध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए, या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा, जो मिथ्या है, और या तो जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, सह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है।
>
> धारा 193. मिथ्या साक्ष्य के लिए दण्ड– जो कोई साशय किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से, मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा। और जो कोई किसी अन्य मामले में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
>
> (मूल अंग्रेजी में "Perjury upon the soul: Many give false evidence under oath, but complex laws and reluctance to initiate proceedings make prosecution a rarity") बिबेक देबराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष है) इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 26–10–2018, पृष्ठ 17)

कोई आश्चर्य नहीं कि विश्व बैंक (The World Bank) ने 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017, गवर्नेंस एंड दि लॉ' (**'GOVERNANCE *and* THE LAW'**) शीर्षक से जारी रिपोर्ट में कहा है कि 'कई विकासशील देशों में कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित है:

> "... In many developing countries, the laws on the books just that"।

(1) रिट पिटीशन नं. (Writ Petition, WP No. 562/2008[1])

इस पिटीशन में मैंने अवैधानिक रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी और गैर–कानूनी रूप से बैठाई गई DE को चुनौती दी। इस रिट पिटीशन के जवाब (Return) में (तब श्री एस.के. मिश्रा, IAS, MD MPLUN थे) निम्नलिखित बिन्दुओं पर झूठे, विरोधाभासी और मनगढ़ंत वक्तव्य अदालतों में प्रस्तुत किए गए (false. contradictory and fabricated statements)

(1.1) डी ई के नियमों के बारे में झूठे एवं विरोधाभाषी कथनः

> दिनांक 12–07–2002 को सेवानिवृत्ती के पश्चात् दिनांक 23–07–2007 को DE बैठाने संबंधी म.प्र. शासन के Rule 9 तथा MPLUN के नियमों के बारे में झूठे एवं विरोधाभासी कथनः (Falsified and contradicted[41, 3, 8] on Rule 9 of Gov't of MP and Rules of MPLUN for DE, rendering the DE null-and-void)

DE मप्र शासन के Rule 9 के अनुसार बैठाई गई क्योंकि MPLUN के नियम सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध DE बैठाने के मामले में **"मौन" ("silent")** हैं (vide note sheet No. 207 dated 18-07-2007[41], and 23-07-2007):

> " म. प्र. लघु उद्योग निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी पेंशन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं तथापि निगम के सेवा नियम ऐसे प्रकरणों में मौन है जहां पर कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभागीय जाँच की जाना है। अतः प्राकृतिक न्याय के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए शासन के नियमों को सर्वोपरि माना जा सकता है एवं उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकती है।"

परंतु इस Rule 9 के अनिवार्य प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। मध्यप्रदेश शासन के Rule 9(2)(b) के अनुसार, सेवानिवृत्ति के चार वर्ष के बाद DE नहीं बैठाई जा सकती और चार वर्ष के भीतर भी जांच बैठाने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है, जो कि नहीं ली गई थी। यह नियमों का उल्लंघन है। यह तथ्य रिट पिटीशन [1] में उल्लेखित किया गया था। तब इस रिट पिटीशन के जवाब (Return)[3] में MD MPLUN ने अपने पूर्व **आदेश** के विरोधाभाषी कथन लिखा किः

- मध्यप्रदेश शासन का Rule 9 लागू (Applicable) नहीं है, तथा
- MPLUN के Rule लागू (Applicable) होते हैं।

तत्पश्चात् माननीय न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 04–02–2010[5] में DE को रद्द कर ग्रेच्युटी को भी भुगतान करने का आदेश दिया।

सुप्रीम कोर्ट का भी **आदेश** है कि सेवानिवृत्ति के बाद DE तभी की जा सकती है, जब इसके लिए नियमों में प्रावधान हो। (The Supreme Court has also held that a DE cannot continue after retirement unless **"vested with authority"[150]**)

(1.2) गैर–कानूनी रूप से ग्रेच्युटी रोकनाः स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् ग्रेच्युटी को रोक कर झूठे एवं परस्पर विरोधाभासी कथनः

गैर–कानूनी रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी को न्यायसंगत बताने वाले झूठे एवं परस्पर विरोधाभासी कथनः (Submitted false and contradictory statements to justify the illegally withheld gratuity after voluntary retirement under the VRS)

- सेवानिवृत्ति के समय स्वेच्छा सेवानिवृत्ति इसीलिए दी गई क्योंकि कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी

  (Voluntary retirement was given because **"no departmental action was pending"** at the time of retirement *[Para 4 in the Return[3] (reply) to Writ Petition (WP); Mr S. K. Mishra, IAS, was then MD MPLUN). It was also submitted in (Para 7 in the Writ Appeal[8]; Mr M. Gopal Reddy, IAS, was then MD MPLUN)*

- पूर्ण ग्रेच्युटी इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि विभागीय कार्यवाही विचाराधीन / लंबित थी ।

  ("… Complete gratuity was not released as the departmental action was contemplated/pending" *[Para 4 in the Return[3] (reply) to Writ Petition (WP); Mr S. K. Mishra, IAS, was then MD MPLUN)*

जैसा कि स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, और चूंकि ग्रेच्युटी राशि का बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया तो यह कहना बिल्कुल निराधार है कि 'पूर्ण ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया':

(1.3) झूठे आरोप लगाते हुए एक पक्षीय (ex parte[6]) DE

> आरोप पत्र का कोई जवाब नहीं दिए जाने का झूठे आरोप लगाते हुए एकपक्षीय DE दिनांक 23–07–2007[6] बैठाई, जबकि मेरा जवाब नस्ती में उपलब्ध है (DE falsely instituted as ex parte[6] (" **उनके द्वारा लिखित बचाव प्रतिरक्षण नहीं किये जाने के कारण … एक पक्षीय कार्यवाही** ") while my reply is duly acknowledged[59], rendering the DE null-and-void)

आदेश दिनांक 23–07–2007 को एक पक्षीय DE यह आरोप लगाते हुए बिठाई गई कि आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया गया है (" **उनके द्वारा लिखित बचाव प्रतिरक्षण नहीं किये जाने के कारण … एक पक्षीय कार्यवाही** "), जबकि हकीकत यह है कि आरोप पत्र का जवाब दिनांक 21–11–2005 MPLUN में प्राप्त हुआ है, जिसे MPLUN के पत्र क्रमांक 17-02-2010[59] में स्पष्ट रूप से स्वीकारा गया है:

> **" … डॉ. एस. सी. जैन द्वारा श्री संजय बंदोपाध्याय, तत्कालीन प्रबंध संचालक को संबोधित पत्र दिनांक 21/11/2005 … संबंधित नस्ति में पाया गया है।"**

मेरे इस जवाब दिनांक 21–11–2005 की प्रतिलिपि रिट पिटीशन[1] में एनेक्चर पी–11 में लगाई थी जिसका उल्लेख एनेक्चर पी–6 में भी है। इस प्रकार रिट पिटीशन के जवाब (Return)[3] यह भी झूठ लिखा है कि जांच मूल तथ्यों को छुपाते हुए बिठाई गई है। (मूल अंग्रेजी में **"It is incorrect that the enquiry has been initiated suppressing the material facts".**

MD MPLUN ने इस पत्र दिनांक 21-11-2005 का कभी भी जवाब नहीं दिया, उल्टे झूठे एकतरफा जांच बिठा दी कि आरोप पत्र का जवाब नहीं दिया गया है। इस तरह से DE कानूनन अमान्य (null-and-void) हो जाती है।

(1.4) DE के लिये जारी कारण बताओ शोकॉज नोटिस दिनांक 05-02-2002 लोकायुक्त के झूठे नाम से

DE बैठाने के पूर्व माननीय लोकायुक्त[41, 42] महोदय के फर्जी नाम से (fabricated the name of Lokayukta) कारण बताओ नोटिस दिनांक 05-10-2002[8 and 3] जारी किया, एवं वह भी जबकि MD MPLUN अपने ही लिखे को स्वयं अपने द्वारा ही झूठा सिद्ध कर रहे थे

> चूंकि रिट अपील[8] एवं रिट पिटीशन[1] के जवाब[3] (Return) में उल्लेखित शोकाज नोटिस दिनांक 05–10–2002[3 and 8] का पूरा प्रकरण फर्जी व मनगढ़ंत (false and fabricated) है, इसलिए कोई भी दस्तावेज हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। MD MPLUN ने बिना फाइल देखे DE की अनुमति प्रदान कर दी, (जांच करने के पश्चात निर्णय लेने का तो जैसे प्रश्न ही नहीं उठता)

जबकि वे अपने ही लिखे को स्वयं अपने द्वारा ही झूठा सिद्ध कर रहे थे (while nailing their own lies) रिट अपील के पैरा 7 तथा रिट पिटीशन के जवाब (Return) के पैरा 3 में MPLUN के MDs ने स्पष्ट लिखा है कि कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 05–10–2002[3 and 8] जारी किया गया क्योंकि MPLUN में रिटायरमेंट दिनांक 12–07–2002 के पश्चात शिकायत प्राप्त हुई थी:

(i) पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) को शोकॉज दिनांक 05-10-2002 दिया गया क्योंकि अनियमितताएं एवं उनकी उनमें लिप्तता उन्हें स्वेच्छित सेवानिवृत्ति देने के पश्चात रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) को प्राप्त हुई।

> "It is apparent that the petitioner was given **show cause notice on 05-10-02** because the irregularities and petitioner's involvement in the same came to the knowledge of answering respondents after sanction of voluntary retirement to the petitioner."
>
> (Para 4 in the Return[3] to Writ Petition, WP No. 562/2008, (when MD MPLUN was Mr S K Mishra, IAS):

(ii) रेस्पोन्डेन्ट नं. 1/पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) द्वारा किय गये कदाचार का पता जैसे ही (MD MPLUN) को चला उसके तुरंत बाद ही उन्हें शोकॉज नोटिस दिनांक 05-10-2002 जारी कर दिया गया था।

> " ...The major misconducts committed by respondent no. 1 were detected and therefore immediately show cause notice dated 05-10-2002 was given."
>
> (Para 7 in the Writ Appeal[8], WA No. 393/2010 (when MD MPLUN was Mr M Gopal Reddy, IAS):

तत्पश्चात् जब पिटीशनर/रेस्पोन्डेन्ट (डॉ एस सी जैन) ने शिकायत की प्रति मांगी तो मुझे पत्र क्र. लउनि/कार्मिक/2010/न. क्र. –/02 दिनांक 01-01-2010[65] द्वारा बताया गया कि लोकायुक्त से शिकायत दिनांक 29–10–2002 / 30–10–2002 प्राप्त हुई थीः

> "विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न डॉ. एस.सी. जैन भोपाल के आवेदन दिनांक 1/12/09 में चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि कार्मिक विभाग में उपलब्ध अभिलेखों अनुसार जिला सतर्कता समिति, लोकायुक्त संगठन से प्रकरण क्रंमाक 16/1/2001 (भोपाल) में जावक क्रमांक/606/जी.स.स. दिनांक 30/10/02 से जारी प्रतिवेदन/29/10/02 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न भेजी जा रही है। अन्य कोई दस्तावेज (प्रतिवेदन) कार्मिक कक्ष में उपलब्ध नहीं है। "

जिसे MPLUN के कार्मिक विभाग के दस्तावेजों के आधार पर "जनवरी 2003" में MPLUN में प्राप्त हुई थीः

> "लोकायुक्त संगठन द्वारा कि गई जाँच का प्रतिवेदन वर्ष जनवरी 2003 में... प्राप्त होने के उपरांत ... कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए ।"
>
> (Note Sheet No. 207[41] dated 18-07-2007 / 23-07-2007 (when MD MPLUN was Mr S K Mishra, IAS):
>
> "डॉ एस. सी. जैन दिनांक 13.07.2002 को सेवानिवृत्त हुए तत्समय डॉ. जैन के विरुद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा कोई भी प्रतिकूल जांच रिपोर्ट निगम को प्राप्त नहीं हुई थी । यह जांच रिपोर्ट डॉ. जैन के सेवानिवृत्ति के तत्पश्चात प्राप्त हुई । अतः उक्त के प्रकाश में विभागीय जांच की कार्यवाही प्रारंभ की गई ।"
>
> (Note Sheet No. 247, dated 17-08-2007[42], (when MD MPLUN was Mr S K Mishra, IAS):

इस प्रकार 25 दिन पश्चात् वाली तारीख दिनांक 29-10-2002 के रिपोर्ट से दिनांक 05–10–2002 द्वारा जारी किये गये जस्टीफाई किया जा रहा है जो भी स्वयं के कथन के आधार पर ही अगले चार माह पश्चात् जनवरी 2003 में MPLUN में प्राप्त हुआ। चूंकि यह मनगढ़ंत है तो हाई कोर्ट में इस संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः MD MPLUN ने बिना फाइल देखे DE की अनुमति प्रदान कर दी, (जांच करने के पश्चात निर्णय लेने का तो जैसे प्रश्न ही नहीं उठता)

अतः रिट पिटीशन[1] के जवाब[3] (Return[3]) में यह झूठ लिखा कि डी ई को तत्यों को छुपाते हुए नहीं बिठाया गया हैः **"It is incorrect that the enquiry has been initiated suppressing the material facts".**

> चूंकि रिट अपील[8] एवं रिट पिटीशन[1] के जवाब[3] (Return) में उल्लेखित शोकाज नोटिस दिनांक 05–10–2002[3 and 8] का पूरा प्रकरण फर्जी व मनगढ़ंत (false and fabricated) है, इसलिए कोई भी दस्तावेज हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

(1.5) शासन के नियम 9 के अनुसार DE कालवर्जित के बारे में झूठ लिखा गया

> शासन के नियम 9 के अनुसार दिनांक 23-07-2007 को घटित DE के संबंध में रिट पिटीशन[1] के रिटर्न[3] में झूठ लिखा गया कि दिनांक 12-07-2002 को सेवानिवृत्ति के पश्चात् DE कालवर्जित नहीं है ("It is incorrect that the initiation of Departmental Enquiry is barred by time and is ex facie illegal and *void ab initio*.")

DE के संबंध में झूठ लिखा गया कि DE कालवर्जित नहीं है, **"यह सही नहीं है कि विभागीय जांच बैठाना काल वर्जित है और यह प्रथम दृष्टया गैर–कानूनी है और आरंभ से अमान्य है "It is incorrect that the initiation of Departmental Enquiry is barred by time and is ex facie illegal and *void ab initio*"[3], "**

MD MPLUN द्वारा DE बैठाते समय सेवानिवृत्त अधिकारियों के मामले में DE बैठाने के संबंध में समय सीमा पर पूर्व अधिकारी (MD, MPLUN श्री बी पी सिंह, IAS, जो बाद में मुख्य सचिव बने) द्वारा उठाये गए प्रश्न दिनांक 15-03-2007 को छिपाया गया,

(**"Retirement" के कितने दिन बाद तक DE हो सकती है? "**[58])

उपरोक्त MD MPLUN श्री बी पी सिंह, IAS, के ट्रान्सफर के पश्चात् उनकी उपरोक्त क्वारी का जवाब नहीं देते हुए, उपरोक्त सेवानिवृत्ति दिनांक 12–07–2002 से पांच वर्ष की अवधि के बाद 23–07–2007[6] को DE मध्यप्रदेश शासन के नियम 9(2)(b) के अनुसार बैठाई गई (तब MD MPLUN श्री एस.के. मिश्रा IAS थे) क्योंकि MPLUN के नियम सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध DE के संबंध में "मौन" ("silent")[41] हैं। इस नियम 9 के अनुसार, DE किसी भी परिस्थिति में सेवानिवृत्ति के चार वर्ष के बाद नहीं बैठाई जा सकती और चार वर्ष के भीतर भी यदि DE आवश्यक हो तो माननीय राज्यपाल महोदय का अनुमोदन आवश्यक है, जो कि नहीं लिया गया। शेष विवरण उपरोक्त बिन्दु 1.4 में भी दिया गया है।

● (1.6) **अदालत का जजमेन्टः**

अंत में माननीय न्यायाधीश ने अपने **आदेश** दिनांक 04–02–2010 में रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए DE निरस्त कर दी तथा ग्रेच्युटी का भुगतान करने का **आदेश** दिया। यह जजमेंट अंग्रेजी में अध्याय 01 में दिया गया है।

(2) रिट अपील नं. (Writ Appeal, WA No. 393/2010[8]) :

तत्पश्चात MD MPLUN लघु उद्योग निगम द्वारा उसी हाई कोर्ट की Division Bench (DB) में उपयुक्त आदेश दिनांक 04-02-2010 को इस अपील में चुनौती दी गई,

(2.1) रिट अपीलः

इस अपील के बिन्दु क्रमांक 8 एवं 9(b) में **विद्वान सिंगल न्यायाधीश महोदय पर झूठा आरोप लगाया** कि उन्होंने इस आदेश दिनांक 04-02-2010 को पारित करके स्पष्ट रूप से गलती की है ("… that the learned single Judge… has committed manifest error in law in passing the impugned order")

विद्वान सिंगल न्यायाधीश महोदय द्वारा इस आदेश दिनांक 04-02-2010 में DE को निरस्त करने तथा ग्रेच्युटी का भुगतान करने के आदेश दिये गये थे।

(2.2) इस रिट अपील में वही झूठे विरोधाभाषी एवं मनगढंत तथ्यः

इस रिट अपील में उन्हीं झूठे, विरोधाभासी एवं मनगढ़ंत तथ्यों को दोहराया reiterated the same false, contradictory and fabricated statements) गया जिन्हें कि रिट पिटीशन[1] (WP No. 562/2008) के उत्तर में (return[3]/reply to the Writ Petition) पूर्व में प्रस्तुत किया गया था **(जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 (1.1 से 1.5 में दिया जा चुका है)**

(2.3) झूठ बोलकर स्थगन आदेश लेनाः

MD MPLUN द्वारा हाई कोर्ट की Division Bench (DB) स्थगन **आदेश** दिनांक 21–09–2011[11] दिनांक 04–04–2012[12] एवं 02–05–2012[13] इस आधार पर लिये गये वे सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ DE बैठाने के संबंध में MPLUN के नियमों को प्रस्तुत करेंगे जबकि हकीकत यह है कि यह नियम वास्तव में **"मौन" ("silent")**[41] हैं। दिनांक 02–05–2012[13] **स्थगन आदेश रूपये 500 (पांच सौ) की कीमत पर दिया गया।**

जैसा कि ये स्थगन **आदेश** दिनांक 21–09–2011[11] दिनांक 04–04–2012[12] एवं 02–05–2012[13] को लिये गये जिसमें अंतिम स्थगन **आदेश** दिनांक 02–05–2012 को 500/– रूपए की पेनल्टी पर दिया गया था। चूँकि MPLUN के नियम **"मौन" ("silent")** हैं, इसलिए DE शासन के नियम 9(2)(b) पर बिठाई गई थी। इस प्रकार झूठ बोलकर बार–बार Division Bench (DB) से स्थगन आदेश प्राप्त किए गए।

(2.4) कोई आश्चर्य नहीं कि तत्पश्चात Supplementary Affidavit[14] दिनांक 18-06-2012 में MD MPLUN द्वारा उन कारणों का जवाब नहीं दिया (evaded to reply) जिनके आधार पर स्थगन आदेश लिये गये थे

कोई आश्चर्य नहीं कि तत्पश्चात Supplementary Affidavit[14] दिनांक 18-06-2012 में MD MPLUN द्वारा उन कारणों का जवाब नहीं दिया **(evaded to reply)** जिनके आधार पर स्थगन **आदेश** लिये गये थे कि वे सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ DE बैठाने के संबंध में MPLUN के नियमों को प्रस्तुत करेंगे। (तब MD MPLUN श्री आर. के. चतुर्वेदी, IAS थे।

(2.5) दिनांक 11–05–2010 को तथाकथित रिट अपील[8] करने के बाद, सभी उत्तरवर्ती MDs of MPLUN ने भी इस गैरकानूनी रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी पर रोक लगाकर रखी,

दिनांक 12-07-2002 को रिटायरमेंट के 15 वर्ष पश्चात दिनांक 05-12-2017[45 and 47] को ग्रेच्युटी का भुगतान आपराधिक कर्महीनता (निक्रियता), लापरवाही के बाद किया गया था जो वापिस कर दिया गया, जिसे एक गैर कानूनी शर्त के साथ दिया गया था जो निम्नलिखित है:

> **(" यदि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 393/10 में डॉ. एस. सी. जैन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो उन्हें भुगतान की गयी समस्त राशि निगम में वापस जमा करना होगा।").**

साथ–ही–साथ ग्रेच्युटी एक्त की धारा 13 के अंतर्गत ग्रेच्युटी को अटैच नहीं किया जा सकता एवं धारा 8 के अंतर्गत रोकी गई ग्रेच्युटी पर कम्पाउण्ड इन्टरेस्ट देना आवश्यक है, जो नहीं दिया गया था, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट द्वारा भी मान्य किया गया है।

The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 8 और 13 और रिट पिटीशन WP No. 562/2008 में 04–02–2010[5] और अवमानना पिटीशन Conc No. 226/2011 में 16–05–2012[21] को हाई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए। अतः इस तरह से 15 वर्ष की आपराधिक कर्महीनता (निक्रियता), लापरवाही के बाद किए गए ग्रेच्युटी भुगतान को पत्र दिनांक 08-12-2017[48] द्वारा तभी वापिस कर दिया गया था। इस बिन्दु के बारे में पूरी जानकारी अगले बिन्दु 3 में दी गई है।

(2.6) MD MPLUN ने रिट अपील दायर करने के अपने विलंब के लिए माफी हेतु आवेदन दिनांक 11–05–2010 के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य (documentary evidence) प्रस्तुत नहीं किए।

आदेश दिनांक 29–07–2011[10] के माध्यम से हाई कोर्ट की Division Bench, (DB) द्वारा रिट अपील फाइल करने में हुए 42 दिनों के विलंब को माफ कर दिया गया।

(2.7) तदनुसार, रेस्पोन्डेन्ट/पिटीशनर (Respondent/Petitioner) (डॉ एस सी जैन) ने

प्रपत्र क्रमांक (document no.) 13491/18, दिनांक 29-09-2008[15] द्वारा जवाब (Return to Writ Appeal) प्रस्तुत किया। इसके पूर्व प्रपत्र क्र. IA No. 4730/2017, दिनांक 04-04-2017[17] से सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 (section 151 of code of civil procedure) के अंतर्गत एक आवेदन भी फाइल किया। यह रिट अपील इस प्रकार से मई 2010 से आज 2022 में बारह वर्षों से चल रही है जिसका कोई अंत नहीं दिखाई देता,

(3) प्रथम अवमानना पिटीशन नं. (Conc No. 226/2011[18]) :

यह अवमानना पिटीशन, रिट पिटीशन[1] (WP No. 562/2008) पर दिए गए आदेश दिनांक 04–02–2010[5] का पालन न करने पर लगाई गई थी, जिसमें ग्रेच्युटी का भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया था। अंत में, अवमानना पिटीशन पर धोखाधड़ी (fraudulently) तथा झूठे कथन एवं तथ्यों को छिपाकर हाई कोर्ट से दिनांक 10-02-2018[28-A] को डिस्पोजल आर्डर प्राप्त किया गया

(3.1) रिट पिटीशन के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना पिटीशनः

चूंकि उपर्युक्त रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 04-02-2010 के अनुसार MD MPLUN द्वारा ग्रेच्युटी रिलीज नहीं की गई थी, अतः यह अवमानना पिटीशन फाइल की गई जिसके अंतर्गत माननीय न्यायाधीश ने दिनांक 16–05–2012[21] को आदेश दिया गया कि ग्रेच्युटी का भुगतान दो हफ्ते में किया जाये, क्योंकि आदेश दिनांक 04–02–2010[5] पर Division Bench (DB) द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी।

(3.2) अवमानना पिटीशन के जवाब में झूठ का बोलवालाः

इसके पश्चात, 04–02–2010 और 16–05–2012 के दोनों ही आदेशों का रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) द्वारा निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है। इस अवमानना पिटीशन पर धोखाधड़ी तथा झूठे कथन एवं तथ्यों को छिपाकर अदालत से दिनांक 10-02-2018[28-A] को डिस्पोजल आर्डर प्राप्त किया गया ।

(जैसा कि बाद में ज्ञात हुआ, इस डिस्पोजल आर्डर को एक ऐसे वकील द्वारा लिया गया जिसे न तो रेसपोन्डेन्ट (श्री विनोद सेमवाल, IAS, (MD MPLUN) एवं न ही पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) द्वारा इन्गेज (engage) किया गया था। इस धोखाधड़ी का विवरण बिन्दु क्रमांक 4.2 में दिया गया है)

(3.2.1) रेस्पोन्डेन्ट श्री विनोद सेमवाल द्वारा झूठ पर झूठः

रेस्पोन्डेन्ट श्री विनोद सेमवाल ने अपनी "Application for exoneration of rule Nisi" [22], दिनांक 19-06-2012 एवं अपनी प्रथम अवमानना पिटीशन के रिटर्न[19] में अनेक झूठे तथ्य प्रस्तुत किएं

(3.2.1/a) **अपनी "Application for exoneration of rule Nisi" [22], दिनांक 19-06-2012 एवं**

(i) Application for exoneration and Discharge of Rule Nisi के अपने आवेदन में श्री सेमवाल ने हाई कोर्ट के आदेशों के अपने उल्लंघन को छिपाते हुए, झूठ लिखकर संचालक मंडल (Board of Directors) के ऊपर थोप दिया, और इस तरह अन्य अनेक झूठ भी लिखे। जबकि संचालक मण्डल का ऐसा ग्रेच्युटी रोकने का कोई निर्णय नहीं था। तथा संचालक मण्डल हाई कोर्ट के **आदेश** के विरुद्ध जा भी नहीं सकता। श्री सेमवाल ने कोई भी दस्तावेज हाई कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि वह झूठ लिख रहे थे।

(ii) साथ ही साथ कोर्ट के आदेश दिनांक 04-02-2010[5] के बाद भी यह ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए अंडरटेकिंग[43] देने के निर्णय को भी लिखा, जबकि ग्रेच्युटी के भुगतान के बारे में हाई कोर्ट के दोनों आदेश दिनांक 04-02-2010[5] एवं 16-05-2012[21] विशुद्ध रूप से बिना किसी कंडीशन के हैं (विवरण अगले पैरा 4.4.2/b में दिया गया है)।

(3.2.1/b) अपनी प्रथम अवमानना पिटीशन के रिटर्न[19] में अनेक झूठे तथ्य प्रस्तुत किएंः

(i) श्री विनोद सेमवाल ने **Rule Nisi**[19]के बारे में भी भ्रामक जानकारी दी जबकि हाई कोर्ट के दोनों आदेश दिनांक 04-02-2010[5] एवं 16-05-2012[21] विशुद्ध रूप से बिना किसी कंडीशन के हैं (विवरण अगले पैरा 4.4.2/c में दिया गया है)।

(ii) साथ ही साथ ग्रेच्युटी के पेमेंन्ट न करने को जस्टीफाई करते हुए भ्रामक लिखा कि रिट अपील पेंडिंग है। जबकि Division Bench (DB) द्वारा रिट अपील[3] में, रिट पिटीशन के आदेश दिनांक 04-02-2010[5] पर कोई भी रोक नहीं लगाई गई है।

साथ ही साथ दिनांक 12–07–2002 को सेवानिवृत्ती के पश्चात् दिनांक 23–07–2007 को DE संबंधी म. प्र. शासन के Rule 9 तथा MPLUN के नियमों के बारे में झूठे एवं विरोधाभासी कथनः (Submitted false and contradictory statements on Rule 9 of the Gov't of MP and the Rules of MPLUN for instituting the DE after retirement)

(3.2.2) झूठ बोलकर स्थगन आदेश दिनांक 15-12-2016[25] लिया गयाः

ग्रेच्युटी रिलीज करने के बजाय लंबित रिट अपील के प्रकरण में MD MPLUN ने 15–12–2016[25] को झूठे बहानों से स्थगन आदेश प्राप्त किया। जे कि तथ्यों को गुमराह करते हुए, लंबित रिट अपील[8] तथा पिटीशनर द्वारा एक अंडरटेकिंग ("undertaking") की आड़ में लिया गया।

जबकि हकीकत यह है कि लंबित रिट अपील[8] (Writ Appeal WA No. 393/2010) में, रिट पिटीशन[1], WP No. 562/2008 में दिनांक 04–02–2010[5] को पारित आदेश पर कोई भी अंतरिम रोक (No Stay) नहीं लगाई गई। साथ ही साथ प्रथम अवमानना पिटीशन[18], Conc No. 226/2011 में पारित आदेश दिनांक 16–05–2012[21] में भी स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि ग्रेच्युटी दो हफ्ते कं अंदर रिलीज की जाये। क्योंकि रिट अपील में कोई भी अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। साथ–ही साथ पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) को MD MPLUN ने यह भी आदेश दिया कि ग्रेच्युटी तभी रिलीज की जावेगी जब पिटीशनर एक अंडरटेकिंग प्रस्तुत करेंगे कि लंबित रिट अपील में निर्णय विपरीत होने पर पर वे ग्रेच्युटी निगम में वापिस कर देंगे, जिसे पिटीशनर ने अस्वीकार कर दिया। इसका विवरण अगले बिन्दु क्रमांक 3.2.4 में दिया गया है।

(3.2.3) अन्य व्यक्तियों को रेस्पोन्डेन्ट बनाने के बारे में एपलीकेशन दबा ली गईः

पिटीशनर द्वारा दायर एपलीकेशन दिनांक 11-12-2017[27] को दबा दिया गया जिसमें अन्य व्यक्तियों को रेस्पोन्डेन्ट बनाने के बारे में निवेदन किया गया था। इस निवेदन में ग्रेच्युटी के पेमेन्ट बावत नियमों के उल्लंघन का उल्लेख था। इसका विवरण अगले बिन्दु क्रमांक 3.2.4 दिया गया है।

(3.2.4) इन रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) ने इस तथ्य को छिपाया कि पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) ने ग्रेच्युटी को क्यों वापिस कर दिया था।

सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद अपराधिक कर्महीनता, अत्यधिक देरी एवं लापरवाही (culpable inaction, inordinate delay and neglect) के साथ किया गया ग्रेच्युटी का भुगतान इस लिए लौटा दिया गया क्योंकि इसका भुगतानः

(i) एक गैर–कानूनी[45 and 47] शर्त लगाकर किया गया गया था जबकि हाई कोर्ट द्वारा 04–02–2010[5] और 16–05–2012[21] को पारित किए गए दो आदेशों में किसी भी प्रकार से कोई भी शर्त नहीं लगाई गई थी। यह गैर कानूनी शर्त निम्नलिखित हैः

(" यदि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 393/10 में डॉ. एस. सी. जैन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो उन्हें भुगतान की गयी समस्त राशि निगम में वापस जमा करना होगा।").

(ii) यह भुगतान बिना किसी ब्याज के किया गया जो कि The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 8 का घोर उल्लंघन है जिसे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया हुआ है।

संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः

ग्रेच्युटी भुगतान अंततः 05–02–2017[45 and 47] को आपराधिक कर्महीनता, और लापरवाही के 15 वर्ष बाद किया गया जबकि स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 12–07–2002 को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ली गई थी, जिसके अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान नियमानुसार सेवा निवृत्ति के तुरंत पश्चात होना था, सेवा निवृत्ति के 15 वर्ष बाद किया गया ग्रेच्युटी का भुगतान इस लिए लौटा दिया गया क्योंकि इसका भुगतानः

(i) एक गैर–कानूनी[45 and 47] शर्त लगाकर किया गया गया था जबकि हाई कोर्ट के द्वारा 04–02–2010[5] और 16–05–2012[21] को पारित किए गए दो आदेशों में किसी भी प्रकार से कोई भी शर्त नहीं लगाई गई थी। यह गैर कानूनी शर्त निम्नलिखित हैः

अवमानना पिटीशन 226/2011 में पारित आदेश दिनांक 16-05-2012[21] के पश्चात MD MPLUN (श्री आर.के. चतुर्वेदी, IAS) ने पत्र दिनांक 18-06-2012[43] द्वारा पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) को आदेश दिया कि वे एक अन्डरटेकिंग ("undertaking") प्रस्तुत करें कि लंबित रिट अपील में निर्णय उनके विपरीत होने पर वे ग्रेच्युटी आदि को निगम में वापिस करेंगेः

> "अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.02.2010 का पालन करते हुए डॉ. सुरेश चन्द्र जैन को ग्रेच्युटी एक्ट के अन्तर्गत देय ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ का भुगतान इस आदेश द्वारा इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि डॉ. सुरेश चन्द्र जैन यह अन्डरटेकिंग प्रस्तुत करें कि यदि लम्बित रिट अपील में भविष्य में विपरीत आदेश पारित होते हैं तो उनके द्वारा आदेश के अनुसार निगम को राशि का भुगतान वापस कर दिया जावेगा।"

पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) ने अपने पत्र दिनांक 28-06-2012[44] द्वारा यह अन्डरटेंकिंग देने से मना कर दिया क्योंकि हाई कोर्ट द्वारा पारित दोनों आदेश 04-02-2010[5] (रिट पिटीशन में पारित) एवं 16-05-2012[21] (कन्टेम्प्ट पिटीशन में पारित) बिना किसी कंडीशन के हैं (absolute without any condition)।

पिटीशनर के उपरोक्त पत्र 28-06-2012[44] का कोई जवाब दिये बिना यकायक पांच वर्ष पश्चात् लिखा कि दिनांक 09-11-2017[45] MD MPLUN (श्री वी.एल. कांताराव, IAS) ने ग्रेच्युटी रिलीज करने के बारे में लिखा कि ग्रेच्युटी रिलीज की जाती है परंतु उपर्युक्त कंडीशन को ही लगाते हुएः

> "डॉ. एस. सी. जैन, मुख्य महाप्रबंधक (सेवानिवृत्त) को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 13.07.2002 उपरान्त देय समस्त लाभ का भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 393/10 में डॉ. एस. सी. जैन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो उन्हें भुगतान की गयी समस्त राशि निगम में वापस जमा करना होगा।"

पिटीशनर ने अपने पत्र दिनांक 13-11-2017[46] से इस कंडीशन को स्वीकार करने से मना कर दिया। इस पत्र का जवाब दिये बिना ही MD MPLUN (श्री वी.एल. कांताराव, IAS) ने पत्र दिनांक 05-12-2017[47] द्वारा ग्रेच्युटी रिलीज कर दी जिसे पिटीशनर ने अपने पत्र दिनांक 08-12-2017[48] से वापस कर दिया क्योंकि, जैसा कि उपरोक्त उल्लेखित है कि हाई कोर्ट के दोनों आदेश दिनांक 04-02-2010[5] (रिट पिटीशन में पारित) एवं 16-05-2012[21] (कन्टेम्प्ट पिटीशन में पारित) बिना किसी कंडीशन के हैं

यह ग्रेच्युटी इस लिए भी वापस की गई थी, कि बगैर ब्याज के दी गई थी जबकि ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के नियम 8 के अनुसार ब्याज के साथ दिया जाना था जिसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया हुआ है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट्र आफ इण्डिया ने ग्रेच्चयुटी रोकने पर 18 प्रतिशत पीनल इन्टरेस्ट (penal interest) के साथ भुगतान के आदेश दिये हुए हैं। **(यह सभी विवरण इस रिपोर्ट के अंग्रेजी में अध्याय 3 के बिन्दु क्रमांक 3.2.4 में दिये गये हैं।)** यह गैर कानूनी शर्त निम्नलिखित हैः

(" यदि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 393/10 में डॉ. एस. सी. जैन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो उन्हें भुगतान की गयी समस्त राशि निगम में वापस जमा करना होगा।").

The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 13 का घोर उल्लंघन है जिसके अंतर्गत ग्रेच्युटी को अटैच (attach) नहीं किया जा सकता।

(ii) यह भुगतान बिना किसी ब्याज के किया गया जो कि The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 8 का घोर उल्लंघन है जिसे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य किया हुआ है।

(3.2.5) Leave encashment के भुगतान पर झूठ बोलाः

MD MPLUN ने अपने पत्र दिनांक 02-06-2018[49] द्वारा Leave encashment का चेक भेजा जबकि डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 में स्पष्ट लेख है कि सारे भुगतान कर दिये गये हैं: ("order passed by this Court has been complied with. Compliance report has been filed")

इस प्रकार डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 के चार माह पश्चात दिनांक 02-06-2018[49] को भुगतान दिया गया था जिससे स्वत: स्पष्ट है कि डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 झूठ बोलकर प्राप्त किया गया था।

पिटीशनर ने अपने पत्र दिनांक 07-06-2018[51] इस लीव एनकेसमेंट को भी वापस कर दिया गया था क्योंकि यह भी बिना ब्याज के दिया गया था।

(3.2.6) ग्रुप इन्श्योरेंस के भुगतान के बारे में झूठ बोलाः

ग्रुप इन्श्योरेंस (Group Insurance (GSLI) का भुगतान कभी भी नहीं किया गया है जबकि डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 में स्पष्ट लेख है कि, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में भी लिखा है, सारे भुगतान कर दिये गये हैं: ("order passed by this Court has been complied with. Compliance report has been filed".)

(पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) ने अपनी रिट पिटीशन Writ Petition[1], (WP No. 562/2008, Para 5.1) में स्पष्ट लिखा था कि सेवा निवृत्ति दिनांक 12-07-2002 को ●ग्रेच्युटी, ●लीव एनकेसमेंट एवं ●ग्रुप इन्श्योरेंस (GSLI)का भुगतान होना है।

(●) निष्कर्ष: इस प्रकार स्पष्ट है कि, जैसा कि उपर्युक्त बिन्दुओं 3.2 (3.2.1 से 3.2.6 तक) उल्लेख किया गया है, डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया।

जैसा कि इस डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018 में ही लेख है कि "यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया है तब सक्षम अधिकारी के विरुद्ध द्वितीय अवमानना पिटीशन दाखिल की जा सकती है:

> ("It is made clear that if the order has not been complied with, then appropriate action shall be taken against the competent person in the second contempt")

अतः एक सेकेण्ड कन्टेम्प्ट पिटीशन (a second Contempt Petition, Conc No. 843/2018) प्रस्तुत कर दी गई है (जिसका विवरण अगले बिन्दु क्रमांक 4 में दिया गया है।

(3.3) पिटीशनर ने अपने विभिन्न डाक्युमेंट्स जिसमें उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का लेख है, हाई कोर्ट में पेश किये हुए हैं:

- **(●)** IA No. 6664/2014, दिनांक 22-04-2014[23]
- **(●)** IA No. 595/2015, दिनांक 24-01-2015[24]
- **(●)** Application दिनांक 19-05-2017[26]
- **(●)** IA No. 18324/17, दिनांक 11-12-2017[27]

(4) द्वितीय अवमानना पिटीशन नं. (Conc No. 843/2018[29]):

(4.1) प्रथम अवमानना पिटीशन में डिस्पोजल आर्डर झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया।

जैसा कि पूर्व बिन्दु **क्रमांक 3.2 (3.2.1 से 3.2.6) में लेख** है कि प्रथम अवमानना पिटीशन 226/2011 में, डिस्पोजल आर्डर दिनांक 10-02-2018[28-A] झूठे कथनों एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया।

इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट (MD MPLUN) द्वारा हाई कोर्ट द्वारा पारित दोनों आदेशों का निरन्तर उल्लंघन किया जा रहा है जो इस प्रकार हैं: (1) आदेश दिनांक 04-02-2010[5] जिसे रिट पिटीशन में पारित किया गया है, एवं (2) आदेश दिनांक 16-05-2012[21] जिसे अवमानना पिटीशन में पारित किया गया)

कोर्ट ने अपने डिस्पोजल आदेश दिनांक 10-02-2018[28-A] में भी लेख किया है कि अगर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया है तब पिटीशनर द्वितीय अवमानना पिटीशन दाखिल कर सकते हैं:

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
CONC 226-2011
(DR. SURESH CHANDRA JAIN Vs SHRI VINOD SEMWAL)

21
Jabalpur, Dated : 10-02-2018

Shri Ankit Gupta, learned counsel for the respondent submits that order passed by this Court has been complied with.

Compliance report has been filed. Hence, contempt petition is disposed of with an observation that if there is any grievance of the petitioner, he/she may file appropriate proceeding before the appropriate Court.

It is made clear that if the order has not been complied with, then appropriate action shall be taken against the competent person in the second contempt.

(S. K. GANGELE) (MANISH TIWARI)
MEMBER MEMBER

The above set up was a Lok Adalat, constituted by the High Court of Madhya Pradesh, where Mr S. K. Gangele is the sitting Judge of the High Court, while Mr Manish Tiwari is an advocate, an officer of the High Court of Madhya Pradesh.

अतः द्वितीय अवमानना पिटीशन 843/2018 फाइल कर दी गई है क्योंकि, जैसा कि उपर्युक्त लेख किया है, प्रथम अवमानना पिटीशन 226/2011 में डिस्पोजल आर्डर दिनांक 10-02-2018 झूठे कथन एवं तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किया गया।

(4.2) यह डिस्पोजल आदेश धोखाधड़ी से भी लिया गया (झूठे तथ्य एवं तथ्यों को छुपाने के अतिरिक्त)

इस अवमानना पिटीशन पर दिनांक 10–02–2018[28-A] को डिस्पोजल आर्डर पारित हुआ जिसे एक अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता, मेसर्स मिश्रा असोसिएट्स) द्वारा लिया गया जो झूठे कथनों और मूल तथ्यों (material facts) को छिपाते हुए लिया गया।

साथ ही साथ, जैसा कि इस वर्तमान अवमानना पिटीशन (843/2018) में चारों रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा दिये गये जवाब (Return[32-to-35]) से बाद में विदित हुआ, यह डिस्पोजल आदेश एक ऐसे अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता) द्वारा लिया गया था जिसका जैसा कि डिस्पोजल आदेश में लिखा है कि वे ''रेस्पोन्डेन्ट के वकील'' ("counsel of the Respondent") थे। जबकि हकीकत यह है कि इस अधिवक्ता को न तो रेस्पोन्डेन्ट (श्री विनोद सेमवाल) और न ही पिटीशनर (डॉ एस सी जैन) द्वारा नियुक्त किया गया था।

इस वर्तमान कन्टेम्प्ट पिटीशन 843/2018 और में 4 रेस्पोन्टेन्ट्स है:

(1) श्री वी.एल. कांताराव, (2) श्री विनोद सेमवाल, (3) श्री आर.के. चतुर्वेदी तथा (4) श्री एम. गोपाल रेडी।

चारों रेस्पोन्डेन्ट्स ने अपने जवाब (Return) 10-10-2018[32-to-35] (Document No. 7732-to-7236[32-to-35]) **दाखिल किए हैं जिसमें** रेस्पोन्डेन्ट्स नं. 2,3 एवं 4 ने अपने जवाब में लिखा है कि रेस्पोन्डेन्ट्स नं. 1 का जवाब उनका भी जवाब है।

रेस्पोन्डेन्ट्स नं. 1 श्री वी एल कांताराव[32] ने निम्नलिखित लेख किया है (जिसे रेस्पोन्डेन्ट्स (श्री विनोद सेमवाल[33], द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि:

> " … Said petition has been disposed by mentioning presence of an advocate who is *neither* engaged by the respondents nor said advocate has filed any vakalatnama in said petition" [Para 11, in return dated 10-10-2018, document no, 7732/2018[32, 33], filed in the High Court].

इस बिन्दु के बारे में दस्तावेजों सहित सभी विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय 4 के बिन्दु क्रमांक 4.2 में दिये गये हैं।

(4.3) इस द्वितीय अवमानना पिटीशन के जवाब में झूठ का बोलवाला:

इस द्वितीय अवमानना पिटीशन के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट्स (MPLUN के सभी चार MDs) ने एक बार फिर से गलत कथनों और मूल तथ्यों को छिपाते हुए अपने जवाब (Return[32-to-35]) दिए। यहाँ उन्होंने **उल्टा चोर कोतवाल को डाटे** जैसी चतुराई का भी सहारा लिया जिसमें वे अपने ही लिखे को स्वयं अपने द्वारा ही झूठा सिद्ध कर रहे थे (while nailing their own lies at the same time)।

(यह द्वितीय अवमानना पिटीशन (Conc No. 843/2018) अभी भी लंबित है)

विवरण निम्नानुसार है:

(4.3.1) बार–बार अवमानना पिटीशन डालने का झूठा दोषारोपण

इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने बुरी तरह से भ्रम में डाला कि पिटीशनर ने ''दोषारोपण करते हुए बार–बार अवमानना पिटीशन'' ("prosecuting repeated contempt petition"[32] (in Para 6 and 12.) लगाई हैं तथा यह भी कहा कि "इस अवमानना पिटीशन को औरों के लिये आदर्श बनते हुए भारी दण्ड के साथ खारिज किया जाये" ("... Instant contempt case deserves to be dismissed with heavy exemplary cost ..." [32] (Para 6 and 12)

यहां वास्तव में तथ्य यह है कि पिटीशनर ने केवल दो अवमानना पिटीशन लगाई गई हैं–

> प्रथम अवमानना पिटीशन[18], Conc No. 226/2011, इसीलिए लगाई गई क्योंकि रिट पिटीशन[1], WP 562/2008 में पारित किए गए आदेश दिनांक 04-02-2010[5] का अनुपालन नहीं किया गया था।
>
> जबकि दूसरी अवमानना पिटीशन, Conc No. 843/2018[29] इसलिए लगाई गई क्योंकि प्रथम अवमानना पिटीशन पर डिस्पोजल आर्डर दिनांक 10-02-2018[28-A] झूठ लिखते हुए तथा तथ्यों को छुपाते हुए धोखाधड़ी से लिया गया था।

इस प्रकार रेस्पोन्डेन्ट्स (all the respondents, four MDs of MPLUN ने द्वितीय अवमानना पिटीशन Conc No. 843/2018 के संबंध में दिए गए अपने जवाब दिनांक 10–10–2018[32-to-35] में गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया, तथा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर यह लिखा कि इस द्वितीय अवमानना पिटीशन को डिसमिस किया जाये तथा पिटीशनर (डॉ. एस.सी. जैन) को औरों के लिये आदर्श बनते हुए भारी दण्ड दिया जाये " ... Instant contempt case deserves to be dismissed with heavy exemplary cost ..." [32] (in Para 6 and 12).

(4.3.2) रेस्पोन्डेन्ट ने रूकी हुई ग्रेच्युटी के बारे में 100 प्रतिशत झूठ लिखा:

यह 100 प्रतिशत झूठ लिखा है कि "पिटीशनर के सेवानिवृत्ति भुगतानों को रिट अपील के लंबित होते हुए भी कभी नहीं रोका" ("never withheld any retiral dues of the petitioner despite the pendency of their writ appeal"[32])

यह कितना बड़ा झूठ है:

पूर्व में दिये गये बिन्दु कन्टेम्प्ट पिटीशन (Conc No. 226/2011) के बिन्दु क्रमांक 3.1 में स्पष्ट उल्लेख है कि रिट पिटीशन WP No. 562/2008 में पारित आदेश दिनांक 04-02-2010[5] के अनुसार ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था तभी तो वह कन्टेम्प्ट पिटीशन लगाई गई थी, जिसमें माननीय न्यायाधीश ने आदेश दिनांक 16-05-2012 को आदेश दिया कि ग्रेच्युटी रिलीज की जाये तथा डी ई को भी निरस्त कर दिया।

रेस्पोन्डेन्ट द्वारा साथ–ही–साथ गैर–कानूनी रूप से रोकी गई ग्रेच्युटी को न्यायसंगत बताने वाले झूठे एवं परस्पर विरोधाभासी कथन भी दिए गए:

- **सेवानिवृत्ति के समय स्वेच्छा सेवानिवृत्ति इसीलिए दी गई क्योंकि "कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं थी"**

  (Voluntary retirement was given because **"no departmental action was pending"** at the time of retirement *[Para 4 in the Return[3] (reply) to Writ Petition (WP); Mr S. K. Mishra, IAS, was then MD MPLUN). It was also submitted in (Para 7 in the Writ Appeal[8]; Mr M. Gopal Reddy, IAS, was then MD MPLUN)*

- **"पूर्ण ग्रेच्युटी इसीलिए नहीं दी गई क्योंकि विभागीय कार्यवाही विचाराधीन / लंबित थी ।"**

  (**"… Complete gratuity was not released as the departmental action was contemplated/pending"***[Para 4 in the Return[3] (reply) to Writ Petition (WP); Mr S. K. Mishra, IAS, was then MD MPLUN)*

जैसा कि स्पष्ट है कि उक्त दोनों ही कथन परस्पर विरोधाभासी हैं, और चूंकि ग्रेच्युटी राशि का बिल्कुल भी भुगतान नहीं किया गया तो यह कहना बिल्कुल निराधार है कि 'पूर्ण ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया'।

(4.3.3) इन रेस्पोन्डेन्ट ने इस तथ्य को छिपाया कि ग्रेच्युटी को क्यों वापिस कर दिया गया

रेस्पोन्डेन्ट ने 15 वर्ष की देरी से भुगतान की गई ग्रेच्युटी को वापिस करने के कारणों को छुपाते हुए लिखा कि: "पिटीशनर ने न केवल सेवोपरांत देय भुगतान को स्वीकार करने से मना कर दिया बल्कि पिटीशनर ने प्रतिवादियों द्वारा उनके सेवोपरांत देय भुगतान के चैक को भी वापिस कर दिया।"

(original in english) " … Petitioner has not only refused to accept his retiral dues but petitioner also returned the cheques of his retiral dues sent by the respondents[32]" (in Para 6, and repeated in Para 6-to-12).

इस प्रकरण का उल्लेख पूर्व पैरा क्रमांक 3.2.4 में भी किया हुआ है।

ग्रेच्युटी भुगतान अंततः 05–02–2017[45 and 47] को आपराधिक कर्महीनता, और लापरवाही के 15 वर्ष बाद किया गया जबकि स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत 12–07–2002 को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ली गई थी, परंतु इस ग्रेच्युटी भुगतान को इसीलिए लौटा दिया गया क्योंकि इसका भुगतान:

(i) एक गैर–कानूनी[45 and 47] शर्त लगाकर किया जा रहा था जबकि हाई कोर्ट के द्वारा 04–02–2010[5] और 16–05–2012[21] को पारित किए गए दो आदेशों में किसी भी प्रकार से कोई भी शर्त नहीं लगाई गई थी। यह गैर कानूनी शर्त निम्नलिखित है:

यह गैर कानूनी शर्त निम्नलिखित है: **(" यदि माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट अपील क्रमांक 393/10 में डॉ. एस. सी. जैन के विरुद्ध निर्णय पारित होता है तो उन्हें भुगतान की गयी समस्त राशि निगम में वापस जमा करना होगा।")**.

The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 13 का घोर उल्लंघन है। जिसके अंतर्गत ग्रेच्युटी को अटैच (attach) नहीं किया जा सकता।

(ii) बिना किसी ब्याज के किया जा रहा था जो कि The Payment of Gratuity Act, 1972 की धारा 8 का घोर उल्लंघन है।

इस बिन्दु के बारे में विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी पूर्व में ही बिन्दु क्रमांक 3.2.4 में दी जा चुकी है।

(4.3.4) **इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने Rule Nisi के बारे में गलत तरह से बताया कि** "……Rule nisi issued against answering respondent is just and expedient to be discharged…"[32] (In Para 12)

वास्तव में रूल निसी (Rule Nisi) एक सशर्त आदेश है। Rule Nisi से तात्पर्य है कि पक्षकार को न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित शर्तों का अनुपालन करना पड़ेगा जब तक कि इस आदेश को अंतिम आदेश में नहीं बदल दिया जाता। परंतु, तथ्य यह है कि 04–02–2010[5] और 16–5–2012[21] के दोनों ही आदेश हाई कोर्ट के अंतिम आदेश थे और इनमें कोई भी किसी भी तरह की शर्त नहीं है।

इस प्रकार हाई कोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों की अवहेलना की जा रही है

(4.3.5) इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने धोखाधड़ी से पारित डिस्पोजल आर्डर को अपने पक्ष में लिखाः

इन रेस्पोन्डेन्ट्स ने प्रथम अवमानना पिटीशन[18] Conc No. 226/2011) में धोखेबाजी से प्राप्त डिस्पोजल आर्डर 10–02–2018[28-A] का उल्लेख करते हुए गुमराह करने की कोशिश की कि "पिटीशनर द्वारा लगाए गए प्रथम अवमानना रिट पिटीशन के प्रकरण में इस माननीय न्यायालय ने प्रकरण का निपटान कर दिया है…"

> ("... In the previous contempt case preferred by the petitioner and this Hon'ble Court has been pleased to dispose of the same[32] ..." (Para 11) इस प्रकरण का विवरण उपर्युक्त बिन्दु 4.2 में भी दिया गया है।

परंतु सत्य यह है कि इस डिस्पोजल आर्डर को धोखाधड़ी से लिया गया था, क्योकि डिस्पोजल आदेश में उल्लेखित अधिवक्ता (श्री अंकित गुप्ता) इस अधिवक्ता को न तो रेस्पोन्डेन्ट (श्री विनोद सेमवाल) एवं न ही पिटीशनर (डॉ. एस सी जैन) द्वारा नियुक्त किया गया था।

अतः इस आदेश दिनांक 10–02–2018 को इसे इनके पक्ष में नहीं माना जा सकता है। इस बिन्दु के बारे में तथ्यात्मक जानकारी विस्तृत दस्तावेजों सहित उपर्युक्त बिन्दु क्रमांक 4.2 में दी गई है, जिसका दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ विस्तृत विवरण इस रिपोर्ट के अंग्रेजी में अध्याय 4 के बिन्दु क्रमांक 4.2 में दिया गया है।

(4.4) **पिटीशनर ने अपने विभिन्न डाक्युमेंट्स जिसमें उपर्युक्त सभी बिन्दुओं का लेख है, हाई कोर्ट में पेश किये हुए हैः**

(4.4.1) कन्टेम्प्ट पिटीशन Contempt Petition[29], Conc No. 843/2018

(4.4.2) अतिरिक्त दस्तावेज (additional documents) प्रस्तुत किए (Document No. 7361/18) 18-06-2018[31] दिनांक

(4.4.3) Application dated 19-05-2017[26]

(4.4.4) कन्टेम्प्ट पिटीशन के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा दिये गये जवाब (Returns[32-to-35]) दिनांक 10-10-2018[32-to-35] (Document No. 7732-to-7236[32-to-35])

(4.4.5) रेस्पोन्डेन्ट्स के जवाब में पिटीशनर द्वारा दाखिल रिज्वाइन्डर Rejoinder dated 22-11-**2018**[36-to-39] (vide Document No. 8649-to-8652/2018)

(●) अधिकारियों के दुरूपयोग का सारांश जिनके कारण प्रकरण हाई कोर्ट में गया

मेरी (डॉ. सुरेश चन्द्र जैन) निम्नलिखित रिपोर्ट दिनांक 22-05-2004, (पृष्ठ 450), पर बदले की भावना से मुझे झूठा फंसाया गया:

भारतीय प्रशासन कानून से ऊपरः मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी[71]

(Indian bureaucracy above the law: a case study of Madhya Pradesh

इस रिपोर्ट दिनांक 22–05–2004 का उल्लेख रिट पिटीशन, WP No. 562/2008 के अनेक्च्र (Annexure P-15) में भी किया गया था। इस रिपोर्ट का विस्तृत प्रकाशन हिन्दुस्तान टाइम्स भोपाल में दिनांक 26–06–2004 (पृष्ठ 3) पर पत्रकार मनीष दीक्षित द्वारा, शीर्षक "Bureaucracy in a tizzy over expose on LUN corruption" द्वारा किया गया।

(1) इस रिपोर्ट में MD MPLUN, मुख्यसचिव एवं निचले स्तर (chief secretary and down below) एवं मुख्यमंत्री द्वारा अधिकारों के दुरूपयोग का वर्णन है । इस रिपोर्ट के पश्चात मध्य प्रदेश शासन ने निम्नलिखित पत्रों द्वारा एक जांच बैठाईः

(i) माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव ने अपने पत्र क्रमांक 229/रास/पिटी/2004, दिनांक 15/06/2004[73] द्वारा अति. मुख्य सचिव, जीएडी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिए।

(ii) माननीय मुख्यमंत्री के सचिव ने पत्र क्रमांक 14639/सीएमएस/पीयूबी/2004 दिनांक 30/11/2004[74] द्वारा प्रमुख सचिव, जीएडी विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेश दिए।

(iii) अन्तोगत्वा सचिव उद्योग विभाग (C&I) ने अपने पत्र क्रमांक **एफ 6-46/04/अ/ग्यारह**, दिनांक 16-02-2005[76] द्वारा संचालक लघु उद्योग निगम को इन्वेस्टीगेटिंग ऑफीसर नियुक्त किया।

> "विषयः भारतीय प्रशासन कानून के उपर मध्यप्रदेश की एक केस स्टडी–डॉ.एस.सी. जैन।
>
> उपरोक्त विषय में आपके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 1–10–2004 के सम्बंध में सूचित करना है कि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु संचालक, लघु उद्योग को निर्देश दिये गये है।"

तत्पश्चात डायरेक्टर, एसएसआई ने पत्र क्रमांक **निक/संचा (व्या. ल.उ.)/2004/349,** दिनांक 23-11-2004[78] द्वारा MPLUN के अति. प्रमुख संचालक (Additional MD MPLUN) को पत्र जारी किया।

परन्तु उन इन्वेस्टीगेटिंग ऑफीसर को ट्रांसफर कर दिया गया अैर उनके एवज में किसी दूसरे को नियुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार दोषी अधिकारियों को बचाने के लिये रिपोर्ट को दफना दिया गया। अन्त्योगत्वा यह रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रखी गई एवं किसी दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार इस रिपोर्ट के पश्चात, इस प्रकार, जांच का एक नाटक किया गया, जिसका उद्देश्य रिपोर्ट को दफनाना था।

(2) उपरोक्त रिपोर्ट दिनांक 22/05/2004 MPLUN के MD (श्री अशोक नोरोन्हा, एक गैर–आईएएस अधिकारी) के बारे में है एवं यह वही अधिकारी हैं जिन्होंने मेरे ही आवेदनपर मुझे स्वेच्छा सेवानिवृत्ति नियमों के अंतर्गत 12–07–2002 को स्वेच्छा सेवानिवृत्ति दी थी। मैंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22–05–2004 (पृष्ठ 450) में इन सभी मुद्दों का दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ संपूर्ण विवरण दिया है। जैसा कि शुरू में ही लेख किया गया है कि मुझे स्वेच्छा सेवानिवृत्ति देने के पश्चात इस अधिकारी श्री नरोन्हा द्वारा मेरी ग्रेच्युटी रोक दी थी। परन्तु श्री नरोन्हा के विरुद्ध कार्यवाही न करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कानून पर आधारित शासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाई गई। इस जागीरदारीपूर्ण आचरण में निम्न सामर्थ्यवान अधिकारीगण लिप्त हैंः

(1) श्री दिग्विजय सिंह, माननीय मुख्यमंत्री
(2) श्री नरेन्द्र नाहटा, माननीय मंत्री (C&I) विभाग
(3) श्री ए वी सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव
(4) श्री रवीद्र कुमार शर्मा, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
(तत्समय नियमित मुख्य सचिव के एस शर्मा के छुट्टी/यात्रा अवधि में थे।)
(5) श्री पी सी सेन, आईएएस, प्रमुख सचिव
(6) श्रीमती बिनू सेन, आईएएस, प्रमुख सचिव

इसके पश्चात निम्नलिखित लोगों ने पदभार संभाला;

(7) श्री बाबू लाल गौर, मुख्यमंत्री
(8) श्री विजय सिंह, आईएएस, मुख्य सचिव

तत्पश्चात केस हाई कोर्ट में गया और निगम में श्री नरोन्हा के बाद आने वाले प्रबंध संचालकों ने (Subsequent MDs of MPLUN) मेरी ग्रेच्युटी रिलीज करने के बजाय हाई कोर्ट में अनेक झूठे, विरोधाभाषी और मनगढंत वक्तव्य (false, contradictory and fabricated statemens) दिये गये:

(a) रिट पिटीशन, WP No. 562/2008 तथा रिट अपील WA No. 393/2010, जिसमें निगम के निम्नलिखित प्रबंध संचालक (MDs of MPLUN) रहेः

श्री एस.के. मिश्रा, आई.ए.एस.,
श्री एम.गोपाल रेड्डी, आई.ए.एस. एवं
श्री आर.के. चतुर्वेदी, आई.ए.एस.

(b) प्रथम अवमानना पिटीशन Conc No. 226/2011 तथा द्वितीय अवमानना पिटीशन Conc No. 843/2018, जिसमें निगम के निम्नलिखित प्रबंध संचालक (MDs of MPLUN) रहेः

श्री वी.एल. कांता राव, आई.ए.एस.,
श्री विनोद सेमवाल, आई.ए.एस.,
श्री आर.के. चतुर्वेदी, आई.ए.एस.,
श्री एम. गोपाल रेड्डी, आई.ए.एस.,

(इन उपर्युक्त प्रबंध संचालकों (MDs of MPLUN) द्वारा जो झूठे, विरोधाभाषी और मनगढंत वक्तव्य (false, contradictory and fabricated statements) हाई कोर्ट में दिये गये उन सभी का सारांश पूर्व में ही दिया जा चुका है।)

(3) दिनांक 23–07–2007[6] को डी ई संस्थित करने के प्श्चात्, अदालत में रिट पिटीशन लगाने से पूर्व, मैंने पत्र दिनांक 07–08–2007 (रिट पिटीशन में एनेक्चर पी–6, WP No. 562/2008), से MD MPLUN (श्री एस.के. मिश्रा, आई.ए.एस.) एवं संबंधित उच्च अधिकारियों को अच्छी तरह अवगत करा दिया था कि डी ई पूर्ण रूप से गैर कानूनी बताते हुए यह भी निवेदन किया था कि उक्त विभागीय जांच को निरस्त करते हुए ग्रेच्युटी बहाल करने का कष्ट करें। परंतु किसी भी अधिकारी ने कोई भी कार्यवाही नहीं की, तत्पश्चात् मैंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दर्ज कीः

श्री एस.के. मिश्रा, (MD MPLUN, जो उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव भी थे) को संबोधित उपर्युक्त पत्र दिनांक 07/08/2007 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रष्ठांकित की गई थीः

श्री विपिन दीक्षित, चेयरमेन, MPLUN
श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
श्री राकेश साहनी, आई.ए.एस., मुख्य सचिव
श्रीमती अवनि वैश्य, आई.ए.एस., प्रमुख सचिव, (C&I) विभाग
(MPLUN उस वक्त (C&I) विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था।

चूंकि गैर–कानूनी तरीके से बैठाई गई विभागीय जांच (DE) पर न तो MD MPLUN ने रोक लगाई और न ही उच्चाधिकारियों ने रोक लगाई और न ही ग्रेच्युटी को भी रिलीज किया गया, तब मैंने नवम्बर 2007 को उच्च न्यायालय, जबलपुर की शरण में जाकर गुहार लगाना उचित समझा। यह रिपोर्ट इस तरह से अधिकारों के दुरूपयोग जो आगे चलकर मुकदमे का रूप लेता है की एक केस स्टडी है।

अदालत का जजमेन्टः अंत में माननीय न्यायाधीश ने अपने **आदेश** दिनांक 04–02–2010 में रिट पिटीशन को स्वीकार करते हुए DE निरस्त कर दी तथा ग्रेच्युटी का भुगतान करने का **आदेश** दिया।

(4) उपर्युक्त उल्लेखित रिपोर्ट दिनांक 22–05–2004 को पुनश्चः **(Post Script)** निम्नलिखित वर्तमान रिपोर्ट के पृष्ठ 92 एवं 93 में किया गया है जिसके विस्तृत विवरण इस वर्तमान रिपोर्ट, के अध्याय 5 और 6 में भी पुनः उद्धृत किये गये हैंः

Lies in the High Court:

Falsely framing and the abuse of power in India-
A socio-legal textbook case on misgovernance

December 21, 2022

एक के बाद एक दर्ज किए गए इन अंतर्संबंधित चारों मुकदमों की श्रृंखला का क्रमिक घटनाक्रम इस प्रकार से है (sequence of events of thses four rounds of interrelated litigations) जैसा कि उपर्युक्त पेरा (para) में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है:

(1) रिट पिटीशन नं. (Writ Petition, WP No. 562/2008[1]):
(2) रिट अपील नं. (Writ Appeal, WA No. 393/2010[8])
(3) प्रथम अवमानना पिटीशन नं. (Conc No. 226/2011[18])
(4) द्वितीय अवमानना पिटीशन नं. (Conc No. 843/2018[29])